[2022] 4 एस. सी. आर 1128

अभिषेक

वी.

महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस.

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 869)

20 मई, 2022

[दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 363 , 364 ए, 384,386,387,397 और 504-प्रतिबंध आदेश-चुनौती-के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आई. पी. सी. की धारा 363,364 ए, 384,386,387,397 और 504 के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थी पहुंच से बाहर रहने के कारण,

घोषणा सीआरपीसी आर/डब्ल्यू की धारा 82 के तहत जारी की गई थी। मकोका की धारा 20 (3), उसे 'भगोड़ा' घोषित करते हुए-एडीजीपी और आयुक्त

सहायक आयुक्त के प्रस्ताव की जांच करने के बाद पुलिस

एस के संदर्भ में मंजूरी के अनुसार पुलिस। 23 (2) मकोका से,

आई. पी. सी., शस्त्र के तहत अपीलार्थी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई

अन्य आपराधिक मामलों में अपीलार्थी की पिछली संलिप्तता के कारण अधिनियम और मकोका-मंजूरी के बाद, पुलिस ने आरोप दायर किया

अपीलार्थी सहित अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध याचिका-अपीलार्थी

मंजूरी आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया - उच्च न्यायालय ने मंजूरी आदेश की सामग्री की जांच की और इसके बाद

इसमें कोई कानूनी दोष या कमी नहीं पाते हुए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करने के लिए आगे बढ़े-उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए तर्क को खारिज कर दिया।

अपील की गईः अपीलार्थी की ओर से गतिविधि को केवल हिंसा के उपयोग तक सीमित रखने का सुझाव स्पष्ट रूप से गलत है जब यह एस के खंड (ई) द्वारा विचारित व्यापक गतिविधियों का उल्लेख करना छोड़ देता है। 2 (1) मकोका, अर्थात, धमकी या हिंसा या धमकी या जबरदस्ती या अन्य गैरकानूनी साधन-हिंसा का वास्तविक उपयोग नहीं है

संगठित अपराध-प्रकृति की आवश्यकता का दूसरा भाग गतिविधि, अर्थात आर्थिक लाभ का भी अनुमान नहीं लगाया गया है।

आर्थिक लाभों तक सीमित लेकिन यह 'अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने' का भी हो सकता है कानून की आवश्यकता के प्रति सचेत और वास्तव में केवल ऐसी आवश्यकता के संदर्भ में मामले की जांच की और मंजूरी जारी की

अपेक्षित संतुष्टि पर पहुंचने के बाद ही विचाराधीन आदेश दें

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को चुनौती, और

अनुमोदन आदेश, जिसे तब अस्वीकार किया जाना आवश्यक था जब अपीलार्थी को भगोड़ा घोषित किया गया था।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999।

2 (1) (घ), 2 (1) (ङ), 3 (1) (ii), 3 (2), 3 (4) और 23 (2)-का उद्देश्य-इस अधिनियम से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करना है -

समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाले संगठित अपराध का खतरा निस्संदेह, इस अधिनियम में कई असाधारण उपायों के साथ सख्त प्रावधान किए गए हैं, लेकिन संगठित अपराध की शरारत की विशिष्ट प्रकृति से निपटने के लिए स्पष्ट रूप से इस तरह के असाधारण उपाय किए गए हैं, विशेष रूप से जब मौजूदा कानूनी ढांचा खतरे को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त पाया गया था।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. वस्तुओं और कारणों पर एक व्यापक नज़र

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (मकोका) के अधिनियमन के लिए, इसके समग्र उद्देश्य को इसकी प्रस्तावना में दर्शाया गया है, और धारा 2 में प्रासंगिक परिभाषाओं के साथ-साथ दंड भी धारा 3 में उपबंधित, इस बात में कोई संदेह न करें कि यह अधिनियम समाज के लिए गंभीर खतरे पैदा करने वाले संगठित अपराध के खतरे से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अधिनियम में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं।

असाधारण उपाय, लेकिन संगठित अपराध की शरारत से निपटने की विचित्र प्रकृति ने स्पष्ट रूप से इस तरह के असाधारण उपायों को जन्म दिया है, विशेष रूप से जब मौजूदा कानूनी ढांचा खतरे को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त पाया गया था। [पैरा 11] [1151-जी-एच; 1152-ए]

2. मकोका के प्रावधानों को सख्ती से समझने की आवश्यकता है

और उनके आवेदन के लिए, एक गैरकानूनी गतिविधि को संगठित अपराध के दायरे में आना पड़ता है। हालाँकि, सवाल अभी भी बना हुआ है कि कड़े प्रावधानों के 'सख्त निर्माण' की आवश्यकता क्या है? उस संबंध में मौलिक कानूनी सिद्धांतों का एक संक्षिप्त संदर्भ उपयुक्त होगा। जहाँ तक सख्त निर्माण क्वो मकोका के नियम की प्रयोज्यता का संबंध है, यह

एक विशेष दंडात्मक कानून होने के नाते, यह स्पष्ट है कि किसी को भी निहितार्थ या अनुमान द्वारा इस कानून के अधीन नहीं किया जाना है और इसके आवेदन से संबंधित सभी संदेहों का समाधान आम तौर पर अभियुक्त के पक्ष में किया जाएगा। हालांकि, सख्त का नियम

अभिषेक बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस.

लाभ '। इस प्रस्ताव की रूपरेखा कि उद्देश्य को आर्थिक लाभ या अन्य समान 'लाभ' प्राप्त करना चाहिए, नहीं है

सही क्योंकि यह अधिनियम के विशिष्ट वाक्यांश से चूक जाता है जो इसके अलावा अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ को संदर्भित करता है

आर्थिक लाभ। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने जगन गगनसिंह नेपाली @जाग्या में सही कहा है कि हो सकता है

किसी ऐसे अपराध को करने वाले व्यक्ति को लाभ जो प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ या लाभ की ओर नहीं ले जा रहा हो, लेकिन समाज में या यहां तक कि सिंडिकेट में भी एक मजबूत पकड़ या सर्वोच्चता प्राप्त करने का हो सकता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस अधिनियम के उद्देश्य को उसमें किसी भी अभिव्यक्ति की व्याख्या करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। और सख्त निर्माण के नाम पर, इसकी भावना और उद्देश्य को कम नहीं किया जा सकता है। [पैरा 14.1,14.2 और 14.4] [1158-एच; 1159-ए-ई; 1161-जी-एच; 1162-ए]

3. इन सभी मामलों में "हिंसा" या "हिंसा की धमकी" या "गैरकानूनी साधनों" का सामान्य धागा नहीं है।

किसी भी विश्लेषण की आवश्यकता वाले मामले के लिए, क्योंकि यह रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है। महत्वपूर्ण रूप से, उपरोक्त मामले अकेले अपीलार्थी से जुड़े मामले नहीं थे और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कथित दल का नेता आर. एस. कम से कम पिछले तीन मामलों में सह-अभियुक्त है। यह किसी न किसी मामले में अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों की पुनरावृत्ति के अलावा है। प्रत्यर्थी की ओर से यह ठीक ही कहा गया है-यह बताएँ कि एम. सी. ओ. सी. ए. को आकर्षित करने के लिए, प्रत्येक पिछले मामले का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। विचाराधीन मामलों में, मानव शरीर और संपत्ति के खिलाफ अपराधों को शामिल करने के अलावा, कई अन्य अपराध भी शामिल हैं जिनमें घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना; शांति भंग करने के लिए अपमान करना; और आपराधिक धमकी शामिल हैं। इनमें शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध भी शामिल है। सभी संदर्भित मामलों में, का उपयोग

विशेष रूप से हिंसा का आरोप लगाया गया है। अपराध चार्ट में, गतिविधियों की प्रकृति और इसमें शामिल व्यक्ति इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि ऐसे अपराधों और गैरकानूनी गतिविधियों में अपीलार्थी की संलिप्तता जिसका उद्देश्य धन प्राप्त करना है। लाभ या सर्वोच्चता प्राप्त करने और इस तरह, अन्य अनुचित लाभों की ओर ले जाने के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। दिनांक 05.11.2020 के विवादित मंजूरी आदेश की आलोचना, कि यह केवल क़ानून की अभिव्यक्ति की पुनरावृत्ति थी, को भी स्वीकार करना मुश्किल है। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में सही [2022] 4 एस. सी. आर. दिया है।

यह देखा गया कि उक्त क्रम को इसकी समग्रता में देखा जाना आवश्यक है, और इसके सार को किसी विशेष पंक्ति या अभिव्यक्ति के अलग-अलग संदर्भ द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय को कोई संदेह नहीं है कि सबसे पहले, अनुमोदन करने वाला प्राधिकारी, और फिर, अनुमोदन करने वाला प्राधिकारी, कानून की आवश्यकता के बारे में सचेत थे और वास्तव में केवल ऐसी आवश्यकता के संदर्भ में मामले की जांच की; और आवश्यक पर पहुंचने के बाद ही प्रश्नगत आदेश जारी किए।

संतुष्टि। इसकी ओर से सही ही बताया गया है

प्रत्यर्थी ने कहा कि ऐसे मामलों में, सक्षम प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि क्या विचाराधीन सामग्री संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा किए गए अपराध, जो कि एक संगठित अपराध है, का खुलासा करती है। [पैरा 15.1,15.2 और 16] [1162-जी-एच; 1163-एएफ] 4. उक्त दो मामलों के संदर्भ में अप्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखने के बारे में प्रस्तुतियाँ जिसके परिणामस्वरूप बरी और निर्वहन होता है, इस सरल कारण से विफल होनी चाहिए कि मकोका की धारा 2 (1) के खंड (डी) के उद्देश्य के लिए, किसी विशेष मामले का परिणाम इस सवाल का निर्णायक नहीं है कि क्या गतिविधि

प्रश्न में 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' के विवरण के उत्तर हैं या नहीं। ये अपीलार्थी द्वारा अकेले किए गए अपराध नहीं थे और वास्तव में इसमें आरोप पत्र दायर किए गए थे। क्रॉस-मामलों के कारण निपटारे का मामला या

गवाहों के उपस्थित न होने के कारण बरी होने का मामला, हो सकता है

जहाँ तक एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 2 (1) के खंड (डी) का संबंध है, शायद ही इसकी कोई प्रासंगिकता हो। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि

मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा अप्रासंगिक मामले पर विचार किया गया है। धारा 2 (1) (घ) के प्रयोजन के लिए जो महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है वह संदर्भित गतिविधि और आरोप पत्र दाखिल करने और अपराध में संज्ञान लेने में संबंधित व्यक्ति की भागीदारी है। बरी किए जाने या रिहा किए जाने का कोई महत्व नहीं है। इकबालिया बयान में संदर्भ

अपीलार्थी के संबंध में दो सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बयान अपीलार्थी के उनके साथ सह-अभियुक्त व्यक्ति होने के कारण पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं हैं। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा साक्ष्य के महत्वपूर्ण टुकड़ों पर विस्तृत चर्चा

इसके बजाय मामले में एकत्र किया गया निष्कर्ष इस निष्कर्ष को मजबूत करता है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकरण ने सभी प्रासंगिक कारकों पर सावधानीपूर्वक अपना दिमाग लगाया है और अभिषेक बनाम के समक्ष मामले का समग्र दृष्टिकोण लिया है।

महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस.

मंजूरी देने के पक्ष में अंतिम राय बनाना। इस संबंध में विवाद भी विफल हो जाता है। इस प्रकार, 16.12.2021 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और 05.11.2020 दिनांकित मंजूरी आदेश को चुनौती देने के लिए खारिज करने की आवश्यकता थी, जब अपीलार्थी को वास्तव में भगोड़ा घोषित किया गया था। हालाँकि, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, इस न्यायालय ने पहले गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच करना उचित समझा है क्योंकि उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे और यह गुण-दोष के आधार पर मामले से निपटने के लिए न्याय का कारण बनता प्रतीत हुआ था। जैसा कि देखा गया है, अपीलार्थी की ओर से आग्रह की गई सभी दलीलें निराधार हैं और यहाँ चुनौती विफल होनी चाहिए। [पैरा 17.5,18.1 और 22] [1166-एफ-एच; 1167-बी; 1168-बी-सी; 1170-बी-डी]

महाराष्ट्र राज्य बनाम। जगन गगनसिंह नेपाली @

जाग्या और अन्र। : (2011) एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम्बे 1049

स्वीकृत किया गया।

खाजा बिलाल अहमद बनाम। तेलंगाना राज्य और अन्य। : (2020) 13 एससीसी 632: 2020 (1) स्केल 41-लागू नहीं होता है।

महाराष्ट्र राज्य और अन्य। वी. ललित सोमदत्त नागपाल और अन्र। : (2007) 4 एससीसी 171: [2007] 2 एससीआर 473; रणजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र और अन्र. : (2005) 5 एस. सी. सी. 295: [2005] 3 एस. सी. आर. 345; जगन्नाथ मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्यः (1966) 3 एस. सी. आर. 134; मोहिंदर सिंह गिल और अन्र। वी. मुख्य चुनाव

आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य। : (1978) 1 एससीसी 405: [1978] 2 एस. सी. आर. 272; महाराष्ट्र राज्य बनाम कमाल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी और अन्य। : (2013) 12 एससीसी 17: [2013] 5 एससीआर 128; कविता लंकेश बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य। : (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन 956; विनोद जी असरानी बनाम। महाराष्ट्र राज्यः (2007) 3 एससीसी 633: [2007] 2 एस. सी. आर. 1023; बलराम कुमावत बनाम। भारत संघ और अन्य। : (2003) 7 एससीसी 628: [2003] 3 पूरक। एस. सी. आर. 24; प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार और अन्र राज्य। : (2021)

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 955-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

[2007] 2 एससीआर 473

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6.1

[2005] 3 एससीआर 345

संदर्भित किया गया है

पैरा

6.2 [2022] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3 एससीआर 134

संदर्भित किया गया है

[1966]

पै

रा 6.4

[1978] 2 एससीआर 272

पै

रा 6.4

संदर्भित किया गया है

[2013] 5 एससीआर 128

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7.4

[2007] 2 एससीआर 1023

पै

रा 7.6

संदर्भित किया गया है

[2003] 3 पूरक। एससीआर 24

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12.6

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

869 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 16.12.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 की आपराधिक रिट याचिका No.667 में बॉम्बे, नागपुर बेंच, नागपुर में न्यायिक कार्य।

विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मेहूल एम. गुप्ता, आर. पी. गुप्ता, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री.

श्वेतल शेपाल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

छुट्टी दे दी गई।

2. इस अपील के माध्यम से, अपीलार्थी ने फैसले को चुनौती दी है

और दिनांक 1 का आदेश, जैसा कि बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर में उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक रिट याचिका संख्या 667 में पारित किया गया था।

2020 जिसके तहत, उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 23 (2) के तहत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त, नागपुर शहर 1 द्वारा जारी दिनांक 05.11.2020 के आदेश को उनकी चुनौती को खारिज कर दिया है। अलग-अलग अपराधों के लिए नागपुर शहर के सदर पुलिस स्टेशन के अपराध संख्या 2020 की 251 में पांच अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ अपीलार्थी का अभियोजन

भारतीय दंड संहिता, 1860 3, शस्त्र अधिनियम, 19594 और मकोका के तहत भी।

3. वर्तमान अपील की उत्पत्ति पर दायर शिकायत में है

08.05.2020 पुलिस स्टेशन सदर, नागपुर शहर में। इसमें, शिकायतकर्ता

1 इसके बाद 'मंजूरी प्राधिकरण' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। 2 संक्षेप में, 'मकोका'। 3 संक्षेप में, आई. पी. सी.। 4 इसके बाद इसे 'शस्त्र अधिनियम' भी कहा जाता है।

अभिषेक बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

उसे अपनी पैतृक संपत्ति के कागजात देने और दुकान सौंपने के लिए कहा; उसे समय-समय पर जान से मारने की धमकी दी; जबरन अपने बेटे को एक वाहन में ले गया; उसे और उसके बेटे को मारने का डर पैदा किया; और जबरन रुपये निकाल लिए। 9,000 रु. तक। 11,000 उसकी जेब से। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति उसके घर गए थे समय-समय पर पैसे की मांग करते थे और डर के कारण वह अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर रह रहे थे।

3.1 . उपरोक्त शिकायत के आधार पर, 2020 का उक्त अपराध संख्या 251 धारा 363 के तहत अपराधों के लिए दर्ज किया गया।

364 ए, 384,386,387,397 और 504 आई. पी. सी.

3.2 . यह देखा गया है कि अपीलार्थी ने गिरफ्तारी की आशंका में आवेदन किया था

गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के लिए और 11.05.2020 पर, सत्र न्यायाधीश, नागपुर ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।

3.3 . हालांकि, 02.06.2020 पर, के अतिरिक्त आयुक्त

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने अन्य बातों के साथ-साथ आई. डी. 1 के अपने अनुमोदन आदेश में कहा कि अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए थे, जिनके लिए तीन साल या उससे अधिक कारावास की सजा निर्धारित की गई थी और पिछले रिकॉर्ड से पता चलता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने अपराध किया था। आईपीसी और संबंधित विशेष अधिनियमों के तहत बहुत गंभीर प्रकृति के अपराध। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने निम्नलिखित शर्तों में अनुमोदन देते हुए अपनी संतुष्टि दर्ज कीः -

" उपर्युक्त अभियुक्त के खिलाफ की गई पिछली निवारक कार्रवाई वांछित परिणाम दिखाने में विफल रही। अभिलेख के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों का अंतिम उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना, इलाके में वर्चस्व स्थापित करना, लोगों के मन में आतंक पैदा करना है ताकि आर्थिक लाभ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

& इस तरह के गंभीर अपराध करने से अन्य लाभ। द.

उनके खिलाफ कई मौकों पर निवारक कार्रवाई की गई जब तक कि

तारीख वांछित परिणाम देने में विफल रही है और लेने के बाद भी

उपरोक्त नामित अपराधियों पर कई बार निवारक कार्रवाई ने संगठित तरीके से गंभीर अपराध किए। इसलिए, यह बहुत स्पष्ट है कि उनके खिलाफ की गई निवारक कार्रवाई वांछित परिणाम देने में विफल रही।

मैं प्रथम दृष्टया संतुष्ट हूं कि ऊपर उल्लिखित हर दूसरी बार

अपराध सिंडिकेट और पर्याप्त सामग्री सबूत उपलब्ध हैं और जांच के लिए पूर्व अनुमोदन देने के लिए रिकॉर्ड

M.C.O.C अधिनियम, 1999 की धारा 3 (1) (ii), 3 (2) और 3 (4) के प्रावधान।

में निहित प्राधिकारी के अनुसार उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध

मुझे M.C.O.C अधिनियम 1999 की धारा 23 (1) (ए) के तहत। "

3.4 . मंजूरी के संदर्भ में मकोका के आह्वान पर

उपरोक्त, अपीलार्थी द्वारा दायर गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के आवेदन को सत्र न्यायाधीश, नागपुर द्वारा खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, अपीलार्थी की पहुंच से बाहर रहने के कारण, उसे 'भगोड़ा' घोषित करते हुए, मकोका की धारा 20 (3) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 19735 की धारा 82 के तहत एक घोषणा जारी की गई थी। 3.5 . 05.11.2020 पर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त, नागपुर शहर ने प्रस्ताव की जांच की

सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध), अपराध शाखा, नागपुर दिनांक 31.10.2020 आई. पी. सी., शस्त्र अधिनियम और मकोका के तहत अपराधों के लिए 2020 के अपराध संख्या 251 में अभियुक्त व्यक्तियों के अभियोजन के लिए मकोका की धारा 23 (2) के संदर्भ में मंजूरी के लिए; और प्रस्ताव के अनुसार ऐसी मंजूरी जारी करने के लिए आगे बढ़े। यह मंजूरी आदेश दिनांक 05.11.2020 वर्तमान मामले में विवाद का मूल है। इसकी प्रासंगिक सामग्री,

विशेष रूप से अपीलार्थी के संबंध में, निम्नलिखित रूप में उपयोगी रूप से देखा जा सकता हैः

" ..... यह भी पता चला है कि एहतियाती कदम उठाए गए हैं टीम लीडर के खिलाफ और आरोपी नंबर 5 अभिषेक के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के तहत। पी. सी. सिताबुर्दी पुलिस स्टेशन में। यह भी पता चला है कि

टीम लीडर लगातार जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहा है।

मुख्य रूप से आर्थिक सहायता के लिए उसके अपराध सिंडिकेट के विभिन्न सदस्य

लाभ और अन्य लाभ।

' 5 संक्षेप में, 'सीआरपीसी'।

अभिषेक बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

टीम लीडर रोशन शेख ने कुल 9 अपराध किए हैं, जिनमें से उन्होंने आरोपी नंबर 5 अभिषेक के साथ संयुक्त रूप से 4 अपराध किए हैं, जिनमें से 3 मामलों में अदालत में आरोप पत्र दायर किए गए हैं और एक वर्तमान अपराध की जांच चल रही है। इस प्रकार यह पता चलता है कि टीम लीडर, आरोपी नंबर 5 अभिषेक, आरोपी नंबर 5 के खिलाफ अदालत में कुल 4 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं। 4 इरफान खान संयुक्त रूप से। इस प्रकार कुल 4 मामलों में उनके अपराध सिंडिकेट के संबंध में संयुक्त रूप से आरोप पत्र दायर किया गया है और अदालत ने भी संज्ञान लिया है। उनके अपराध सिंडिकेट के संबंध में संयुक्त रूप से दायर आरोप पत्र दिखाने वाला चार्ट इसके साथ अनुलग्नक-बी के रूप में संलग्न है।

***

***

***

अभियुक्त सं. 5 अभिषेक ने कुल 7 अपराध किए हैं, जिनमें से उसने टीम लीडर के साथ संयुक्त रूप से 3 अपराध किए हैं अर्थात नंदनवन पी. एस. का अपराध सं. <आई. डी. 3, अपराध सं. 196/16 सिताबुर्दी पी. एस., और अपराध सं. 83/17 सिताबुर्दी और एक अपराध उनके वर्तमान अपराध सिंडिकेट के साथ संयुक्त रूप से किया है। आरोपी नं. 5 बुरदी पी. एस. ने अपने अपराध सिंडिकेट के अन्य विभिन्न सदस्यों के साथ आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत शेष 2 अपराध किए हैं और अंबाजारी पी. एस. के शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत एक अपराध किया है। उपरोक्त सभी मामलों में उनके अपराध सिंडिकेट के अन्य अलग-अलग सदस्यों और अभियुक्त संख्या 5 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। अभियुक्त नं. 5 ने वर्तमान एफ. आई. आर. दर्ज करने पर अग्रिम जमानत प्राप्त की थी और मकोका के आवेदन के बाद वह फरार है। अभियुक्त संख्या 5 द्वारा किए गए कुल 7 अपराधों को दर्शाने वाला चार्ट इसके साथ चार्ट-एफ के रूप में संलग्न है।

***

***

यह आगे पता चलता है कि टीम लीडर और आरोपी नंबर 5 अभिषेक के खिलाफ भी निवारक कार्रवाई की गई है, लेकिन व्यर्थ है। उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध भी दर्ज पाए गए हैं। दल के नेता और अभियुक्त संख्या 5 और 6 लेकिन उन्हें आर्थिक लाभ के लिए ऐसे अपराध करने से रोक नहीं सके। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 2 (डी) और (ई) के आवश्यक अवयवों की पूर्ति हुई है।

वर्तमान अपराध में एकत्रित प्रमाणः -

1. यह पता चला है कि टीम लीडर और आरोपी नंबर 3 सलीम काजी ने मकोका की धारा 18 के तहत इकबालिया बयान दिया है और [2022] 4 एस. सी. आर. का खुलासा किया है।

ऐसे गंभीर अपराधों को करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली दंडनीय है। उपरोक्त प्रावधानों के तहत आर्थिक लाभ के लिए और अन्य के लिए

लाभ होता है।

2. इससे पता चलता है कि आरोपी नंबर 3 ने अपने इकबालिया बयान में खुलासा किया है

सिंडिकेट वर्तमान अपराध में शामिल हैं और सटीक भूमिका क्या है प्रत्येक सदस्य का और टीम लीडर द्वारा चुनी गई कार्यप्रणाली का भी

3. टीम लीडर ने अपने सभी अवैध कृत्यों का भी खुलासा किया है, जिनके नाम पीड़ित, जबरन वसूली के मामले और ब्लैकमेल करने के तरीके

आर्थिक लाभ के लिए जबरन वसूली के लिए उसके द्वारा गोद लिया गया। आई. ओ. है संबंधित साक्ष्य के रूप में ऐसे सभी पीड़ितों के अभिलिखित बयान

टीम लीडर के अवैध जघन्य कृत्य। कुल 24 कथनों में

गवाहों की संख्या आई. ओ. द्वारा दर्ज की गई है।

***

***

***

" संगठित अपराध सिंडिकेट "और संयुक्त रूप से और अकेले प्रतिबद्ध हैं आर्थिक लाभ के लिए गंभीर और हिंसक अपराध। मैं संतुष्ट हूँ।

कि टीम के नेता रोशन शेख और ऊपर ने अन्य सह-खिलाड़ियों का नाम लिया

सदर के वर्तमान अपराध No.251/2020 में अभियुक्त संख्या 2 से 6

पी. एस., में परिभाषित "निरंतर गैरकानूनी गतिविधि" में शामिल हैं

मकोका की धारा 2 (1) (डी) और (ई) i. ई. वे उपयोग में लिप्त हैं

हिंसा, हिंसा की धमकियाँ, धन प्राप्त करने के लिए धमकी

अपने लिए लाभ या अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ या

कोई अन्य व्यक्ति, संज्ञेय अपराध करके, दंडनीय

सिंडिकेट के सदस्यों के रूप में किया गया, जिसके संबंध में अधिक सक्षम न्यायालय में एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हैं।

***

***

*****

3.6 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मंजूरी देने वाले प्राधिकरण ने इसे दर्ज किया

कार्रवाई जो धारा 2 (1) (डी) के सभी आवश्यक अवयवों और

ई) मकोका को पूरा किया गया था और इसलिए, छह अभियुक्तों के अभियोजन के लिए मकोका की धारा 23 (2) की मंजूरी देने के लिए आगे बढ़े।

उपरोक्त अपराधों के लिए अपीलार्थी सहित, जिसमें

मकोका के तहत बाड़।

अभिषेक बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

3.7 . उपरोक्त मंजूरी के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया

2020 के उक्त अपराध संख्या 251 में 07.11.2020 पर। इसके कारण अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में 2020 की रिट याचिका संख्या 667 दायर की।

मंजूरी आदेश दिनांक 05.11.2020।

4. जैसा कि विवादित मंजूरी आदेश की सामग्री से देखा गया है

दिनांक 05.11.2020, अन्य आपराधिक मामलों में अपीलार्थी की पिछली संलिप्तता, जिनमें से कम से कम तीन कथित टीम लीडर के साथ संयुक्त रूप से थे, मंजूरी देने वाले प्राधिकरण में विचार का हिस्सा था, जो अंततः 2020 के अपराध संख्या 251 में अन्य अपराधों के साथ-साथ एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत अपराधों के संबंध में अभियोजन के लिए मंजूरी जारी करता था। अन्य मामलों में अपीलार्थी की संलिप्तता उच्च न्यायालय का भी विचार। जैसा कि इसके बाद देखा जाएगा, अन्य मामलों की प्रकृति और उनमें से कुछ के परिणाम इस अपील के समर्थन में प्रस्तुतियों का एक हिस्सा हैं। अतः उन मामलों पर ध्यान देना उचित होगा जिनमें अपीलार्थी शामिल है या था। अपराधों की प्रकृति और अभियुक्त व्यक्तियों के नामों के साथ इन मामलों का विवरण और स्थिति इस प्रकार हैः -

क्रम संख्या 1

सीताबुलदी

पुलिस स्टेशनः

3283/2012 , दिनांकित 15.07.2012

अपराध सं. और तिथिः अभियुक्त व्यक्तिः

1. अभिषेक सिंह 2. केवल पटेल

अपराधः

शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 और शस्त्र अधिनियम की धारा 135

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम

स्थितिः

जे. एम. एफ. सी., नागपुर के समक्ष लंबित।

क्रम संख्या 2

पुलिस स्टेशनः

सीताबुलदी

13/2012 , दिनांकित 11.01.2012

अपराध सं. और तिथिः

अभियुक्त व्यक्तिः

1. अभिषेक सिंह 2. हर्ष मोदी

आई. पी. सी. की धारा 307,34

अपराधः

अपीलार्थी अभिषेक और सह-अभियुक्त

स्थितिः

सत्र न्यायालय द्वारा 09.05.2017 पर बरी कर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्रम संख्या 3

पुलिस स्टेशनः

नंदनवन

अपराध सं. और तिथिः

482/2015 , दिनांकित 20.12.2015

अभियुक्त व्यक्तिः

1. शशांक चौधरी, 2. रोशन शेख,

3. पंकज धरवाल, 4. अभिषेक सिंह

5. दिव्यम सम्रित, 6. हर्ष मोदी

अपराधः

आईपीसी की धारा

143,147,148,149,294,324,325

यह अपराध संख्या 481 के साथ एक क्रॉस-केस था।

स्थितिः

2015 और पार्टियों पर पहुंचे हैं

समझौता, उच्च न्यायालय, अपने आदेश द्वारा

दिनांकित 13.04.2016, रद्द कर दिया गया

कार्यवाही।

क्रम संख्या 4

सीताबुलदी

पुलिस स्टेशनः

196/2016 , दिनांकित 06.05.2016

अपराध सं. और तिथिः

अभियुक्त व्यक्तिः

1. समीर शर्मा, 2. कम्मू @कमलेश

यादव, 3. अभिषेक सिंह 4. रोशन शेख

5. जयप्रकाश @विनोद @पांडे शुक्ला

अपराधः

धारा 143,147,148,149,294,323,326।

324 आई. पी. सी.

आरोप पत्र दायर किया गया है और मामला दर्ज किया

गया है।

स्थितिः

कहा जाता है कि यह लंबित है।

क्रम संख्या 5

सीताबुलदी

पुलिस स्टेशनः

517/2016 , दिनांकित 18.11.2016

अपराध सं. और तिथिः अभियुक्त व्यक्तिः

1. समीर शर्मा, 2. अभिषेक सिंह 3.

श्रीकांत वानवे 4. शुभम जयसवाल 5.

राकेश सम्रुतवर 6. विष्णु त्रिपाठी 7.

राजलन्नन पांडे 8. रामाशंकर मिश्रा

9. मोहम्मद. वसीम

आई. पी. सी. की धारा 143,147,148,149,307 और शस्त्र अधिनियम।

अपराधः

आरोप पत्र दायर किया गया है और मामला दर्ज किया

गया है।

स्थितिः

कहा जाता है कि यह लंबित है।

अभिषेक बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

क्रम संख्या 6

सीताबुलदी

पुलिस स्टेशनः

83/2017 , दिनांकित 08.03.2017

अपराध सं. और तिथिः अभियुक्त व्यक्तिः

1. रोशन शेख, 2. सुनील कुरील, 3. कमलेश यादव, 4. दिव्यम समित, 5. रुद्रम सम्रित, 6. अभिषेक सिंह

धारा 143,147,148,149,323,294 और अपराधः

506 आईपीसी.

आरोप पत्र दायर किया गया है और मामला दर्ज किया गया है।

स्थितिः

कहा जाता है कि यह लंबित है।

क्रम संख्या 7

सदर।

पुलिस स्टेशनः

251/2020 , दिनांकित 08.05.2020

अपराध सं. और तिथिः अभियुक्त व्यक्तिः

1. रोशन शेख, 2. सोहेल खान, 3. सलीम काजी, 4. इरफान खान, 5. अभिषेक सिंह, 6. अंकित पाली

धारा 363,364 क, 384,386,387,397,504,

अपराधः

506 आई. पी. सी., 4/25 शस्त्र अधिनियम, और 3 (1) (ii), 3 (2) और 3 (4) मकोका।

यह वर्तमान मामला है जहाँ आरोप-पत्र है।

स्थितिः

दाखिल किया गया है।

5. प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं पर ध्यान देने के बाद, हम कर सकते हैं

अब उच्च न्यायालय के समक्ष की गई प्रस्तुतियों और उनके विचारों का उल्लेख करें।

5.1 . दिनांकित 05.11.2020 के मंजूरी आदेश को चुनौती देते हुए, यह था

2 (1) (डी), जो 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' को परिभाषित करता है और धारा 2 (1) (ई), जो 'संगठित अपराध' को परिभाषित करती है, के अनुसार पर्याप्त नहीं थी। मंजूरी। दूसरे शब्दों में, तर्क यह था कि मकोका की धारा 23 (2) के संदर्भ में मंजूरी देने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि मकोका की धारा 2 (1) (च) द्वारा परिभाषित 'संगठित अपराध सिंडिकेट' का अस्तित्व पूरा नहीं हुआ था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5.2 . उच्च न्यायालय ने पृष्ठभूमि के पहलुओं पर ध्यान दिया, जिनमें शामिल हैं -

अपीलार्थी और विभिन्न अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता से संबंधित तथ्य, जिनमें से कुछ टीम के नेता रोशन शेख और अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध में थे। उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के मंजूरी आदेश की सामग्री की भी जांच की और इसमें कोई कानूनी दोष या कमी नहीं पाए जाने के बाद, रिट याचिका को खारिज करने के लिए आगे बढ़ा, जबकि निश्चित रूप से, यह स्पष्ट करते हुए कि आदेश में होने वाली कोई भी टिप्पणी मुकदमे को प्रभावित या पूर्वाग्रहित नहीं करेगी या अपीलार्थी के किसी भी वैध बचाव को पूर्व-खाली नहीं करेगी। उच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया, अभिनिर्धारित किया और निष्कर्ष निकालाः -

" 13. यह उपरोक्त शर्तों में संतुष्टि के रिकॉर्ड के बाद ही है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकरण ने, उक्त अधिनियम की धारा 23 (2) के संदर्भ में, श्री मिश्रा द्वारा ध्यान केंद्रित करने के संदर्भ में और अधिक संतुष्टि दर्ज करने के लिए आगे बढ़े हैं, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और पैरा संख्या में उद्धृत। 5 इस आदेश से। यहाँ तक कि उद्धरण भी यह स्पष्ट करता है कि आवश्यक अवयवों के अस्तित्व के बारे में संतुष्टि "में" है।

पूर्वगामी टिप्पणियों का दृष्टिकोण "। संतुष्टि नहीं है उक्त अधिनियम की धारा 2 (डी) और 2 (ई) के अवयवों तक सीमित लेकिन सामान्य रूप से उक्त अधिनियम के अवयवों तक सीमित,

उपरोक्त में विशेष संदर्भ दिया गया होगा-उद्धृत

उक्त अधिनियम की धारा 2 (घ) और 2 (ङ) का भाग।

14. इसलिए, केवल उपरोक्त उद्धृत भाग को पढ़ने के आधार पर, यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं होगा कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने या तो अपना दिमाग नहीं लगाया है और उक्त अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत परिभाषित "संगठित अपराध सिंडिकेट" के अस्तित्व के बारे में कोई संतुष्टि दर्ज करने में विफल रहे हैं या यह संतुष्टि कि याचिकाकर्ता सहित ये अभियुक्त व्यक्ति इसका हिस्सा हैं या हैं। इस संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य। विवादित मंजूरी आदेश को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए और कुछ कटे हुए हिस्से के आधार पर, मंजूरी देने वाले प्राधिकरण द्वारा किसी भी कथित गैर-विवेक के बारे में कोई विवाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है या कम से कम बनाए रखा जा सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) की आवश्यकताओं के लिए। इसके अलावा, श्री मिश्रा द्वारा उठाया गया तर्क, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं

केवल उपरोक्त उद्धृत भाग पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है लेकिन इसमें दर्ज विशिष्ट संतुष्टि को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। उक्त अधिनियम की धारा 2 (च) के संदर्भ में न केवल एक संगठित अपराध सिंडिकेट के अस्तित्व के बारे में आक्षेपित मंजूरी आदेश, बल्कि यह भी कि याचिकाकर्ता सहित अभियुक्त व्यक्ति हैं

ऐसे सिंडिकेट के सदस्यों और आगे, अकेले या संयुक्त रूप से अभिषेक v है।

आर्थिक और अन्य लाभों के लिए गंभीर और हिंसक अपराध किए। इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि विवादित मंजूरी आदेश में अब आग्रह किए गए आधार पर कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है हमें।

15. श्री मिश्रा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, के अनुरोध पर, हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश में टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया हैं और इस आदेश में कुछ भी मुकदमे और गुण-दोष को प्रभावित करने या पूर्वाग्रहित करने या किसी भी वैध बचाव को रोकने के लिए नहीं है जो याचिकाकर्ता के पास इस तरह के मुकदमे के दौरान हो सकता है।

16. इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है। नियम का निर्वहन किया जाता है।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

6. उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के साथ-साथ 05.11.2020 दिनांकित मंजूरी आदेश को भी मानते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील

अपीलार्थी ने हमें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 की योजना के साथ-साथ मामले के रिकॉर्ड के बारे में भी बताया है और विचार के लिए विभिन्न प्रकार की दलीलें प्रस्तुत की हैं, जिनका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

6.1 . विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में वरिष्ठ वकील का अध्ययन किया।

एम. सी. ओ. सी. ए. ने प्रारंभिक निवेदन किया है कि इस अधिनियम के गंभीर परिणाम हैं जहां न केवल सजा की न्यूनतम अवधि है

धारा 3 के तहत प्रदान किए गए, असाधारण प्रकृति के कई उपाय प्रदान किए गए हैं, जैसे संचार का अवरोधन (धारा 14); सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 18726 में निहित सामान्य नियमों को ओवरराइड करने वाले साक्ष्य के विशेष नियम, आरोपी पर सबूत के विपरीत बोझ के साथ (धारा 17); पुलिस अधिकारी को दिए गए इकबालिया बयानों का उपयोग (धारा 18); संपत्ति की जब्ती और कुर्की (धारा 20) और संशोधित कई सुरक्षाओं को ओवरराइड करने के साथ सी. आर. पी. सी. का अनुप्रयोग। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि कठोर और गंभीर परिणामों को देखते हुए, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है कि

एम. सी. ओ. सी. ए. को अदालतों द्वारा सख्ती से समझा जाना चाहिए और संबंधित अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन करना चाहिए। विद्वान वकील ने महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के मामले में निर्णय का उल्लेख किया है। वी. ललित सोमदत्त नागपाल और अन्र। : (2007) 4 विशेष रूप से एस. सी. सी. 171

उसका अनुच्छेद 62। 6 इसके बाद इसे 'साक्ष्य अधिनियम' भी कहा जाता है।

6.2 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा है कि

एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 2 (1) (ई) और 2 (1) (एफ) के साथ पठित धारा 2 (1) (डी) के प्रावधानों को लागू करने के लिए कम से कम दो आरोप पत्रों की आवश्यकता होती है -

दोहरे आरोपों के साथ दायर किए गए हैं, अर्थात क) हिंसा और ख) आर्थिक लाभ या अन्य समान लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य। विद्वान।

महाराष्ट्र राज्य और अन्र. : (2005) 5 एस. सी. सी. 295। 6.3 . वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि

उत्तरदाताओं का कहना है कि आर्थिक लाभ से संबंधित आरोप केवल 2020 के अपराध संख्या 251 के वर्तमान मामले में होते हैं और अन्य मामलों में नहीं। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, सीमा

दो या दो से अधिक मामलों में अपीलार्थी की भागीदारी की आवश्यकता जिसमें आर्थिक या समान लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य शामिल है, भले ही उन मामलों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए, एमसीओसीए के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं।

6.4 . मंजूरी आदेश की सामग्री और उत्तरदाताओं के रुख के संदर्भ में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि

मंजूरी आदेश का आधार बनने वाले मामले किसी भी आर्थिक लाभ से संबंधित नहीं थे और न ही विवादित आदेश में ऐसा कोई विचार किया गया था, लेकिन समापन भाग में, मंजूरी देने वाले प्राधिकरण ने आर्थिक लाभ या अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए अभिव्यक्तियों का यांत्रिक रूप से उपयोग किया था। विद्वान वकील के अनुसार,

वैकल्पिक के उपयोग, अर्थात ", या" का कोई आधार नहीं है और इस प्रकार, आक्षेपित आदेश आधारहीन रहता है जहां मंजूरी के प्रस्ताव होते हैं।

प्राधिकरण एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 2 (1) (एफ) की सीमा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। विद्वान वकील ने निर्णय का उल्लेख किया है

जगन्नाथ मिश्रा बनाम का मामला। उड़ीसा राज्यः (1966) 3 एससीआर 134 और

उसने प्रस्तुत किया है कि तथ्यों को उचित रूप से लागू किए बिना केवल क़ानून की अभिव्यक्तियों का उपयोग करना उचित नहीं है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल शामिल है। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, 'अन्य लाभ' का ऐसा कोई तत्व नहीं होने के कारण और इन शब्दों का मनमाने और औपचारिक तरीके से उपयोग किए जाने के कारण, अभियोजन पक्ष उसी पर भरोसा करने का हकदार नहीं है।

इसमें अभिषेक वी भी है। महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

यह तर्क दिया गया है कि, वास्तव में, 'अन्य लाभ' की याचिका, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष लिया गया है, बल्कि एक विचार के बाद है और मंजूरी आदेश में दर्ज कारणों में सुधार का प्रयास है, जो है -

मोहिंदर सिंह गिल और अन्न के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। वी. मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य। : (1978) 1 एससीसी 405।

6.5 . प्रस्तुतियों के अन्य अंगों में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने विशेष रूप से अपराध संख्या से संबंधित मामलों का उल्लेख किया है। 13 2012 का और 2015 का 482 और प्रस्तुत किया है कि इन मामलों पर इस कारण से बिल्कुल भी विचार नहीं किया जा सकता था कि 2012 के अपराध संख्या 13 से संबंधित मामले में, अपीलार्थी को वास्तव में, निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया था, जबकि 2015 के अपराध संख्या 482 से संबंधित मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त आदेश में बरी और रद्द किए जाने के बावजूद ऐसे मामलों पर भरोसा करने के लिए विशिष्ट कारण दिए जाने चाहिए थे। इसलिए, फिर से, विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि मंजूरी जारी करने वाले आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए।

6.6 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकरण ने दर्ज किए गए इकबालिया बयानों पर भरोसा किया है

मकोका की धारा 18 के तहत और यह स्व-सेवा अभ्यास के रूप में नहीं किया जा सकता था। किसी भी मामले में, विद्वान वकील के अनुसार, एम. सी. ओ. सी. ए. पर लागू आरोपों के साथ दो आरोप पत्र वाले मामलों की सीमा की आवश्यकता को पूरा किए बिना, एक मामले में स्वीकारोक्ति की संख्या को पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि एम. सी. ओ. सी. ए. के आवेदन जैसे कठोर परिणामों वाले किसी भी आदेश को, यदि प्रासंगिक विचारों की अनदेखी करते हुए, अप्रासंगिक सामग्री के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है, तो अनुमोदित नहीं किया जा सकता है और खंड खाजा बिलाल अहमद के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित किया गया है। तेलंगाना राज्य और अन्य। : (2020) 13 एससीसी 632। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि जब वर्तमान मामले में अप्रासंगिक सामग्री को बाहर रखा जाता है, तो मंजूरी आदेश आधार पर आता है और अलग किए जाने के योग्य है।

6.7 . जहां तक प्रत्यर्थियों के आरोपों का संबंध है कि अपीलार्थी भगोड़ा था, यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी का भागने या न्यायिक प्रक्रिया का सामना न करने का कोई इरादा नहीं था और वह हमेशा से ऐसा करता रहा है।

नागपुर में उपलब्ध; और इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र की शपथ लेने के लिए दिल्ली की यात्रा की थी। यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता, अतीत के अन्य मामलों की तरह, जांच और निचली अदालत के साथ पूरी तरह से सहयोग करेगा, लेकिन मकोका के कठोर प्रावधानों का मनमाना, अवैध और दुर्भावनापूर्ण आह्वान, मौलिक अधिकारों [2022] 4 एस. सी. आर. को गंभीर रूप से बाधित करता है।

अपीलार्थी का, अपीलार्थी के कथित भगोड़े होने से मान्य नहीं हो सका; और राज्य केवल गलत पूर्वाग्रह पैदा करने और अपने मनमाने और अवैध मंजूरी आदेश को उचित ठहराने की कोशिश कर रहा था। 7. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील-राज्य ने अपीलार्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियों का विरोध किया है और तथ्य-पत्रक के विस्तृत संदर्भ के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित रूप में तर्क दिया है:

7.1 . राज्य के विद्वान वकील ने, सबसे पहले, जोरदार तर्क दिया है कि अपीलकर्ता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे धारा 20 (3) मकोका के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत भगोड़ा घोषित किया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय से किसी भी राहत का हकदार नहीं है। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि एम. सी. ओ. सी. ए. के आवेदन के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित सभी प्रस्तुतियाँ अस्वीकार किए जाने के योग्य हैं जब अपीलार्थी ने स्वयं कानून के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने का विकल्प चुना है।

7.2 . मकोका के आह्वान के लिए निर्धारित शर्तों की ओर बढ़ते हुए, विद्वान वकील ने 2015 के अपराध संख्या 482 (पुलिस स्टेशन नंदनवन), 2016 के अपराध संख्या 196 (पुलिस स्टेशन सीताबुलदी) और 2017 के अपराध संख्या 83 (पुलिस स्टेशन सीताबुलदी) में उपरोक्त तीन मामलों का उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि इन सभी मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं और इसलिए, अधिक की आवश्यक शर्त

धारा 2 (1) (ई) के संदर्भ में एक से अधिक आरोप पत्र का विधिवत पालन किया गया है। विद्वान वकील आगे तर्क देंगे कि एक के बारे में तथ्य अपराध के मामलों को रद्द कर दिया गया है और एक और बरी होने में समाप्त हो रहा है, इस सवाल को तय करने के लिए भौतिक विचार नहीं हैं कि क्या

अपीलार्थी मकोका की धारा 2 (1) (डी) के संदर्भ में 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' में लिप्त था।

7.2. 1 . बरी किए जाने में समाप्त होने वाले मामले के संबंध में, राज्य के विद्वान वकील ने इन तथ्यों की ओर भी इशारा किया है कि इसमें एक गवाह है शत्रुतापूर्ण और अन्य गवाह आगे नहीं आए; और है

प्रस्तुत किया कि वास्तव में, मकोका इस तरह के खतरे पर अंकुश लगाना चाहता है जहां गवाहों के अभियोजन पक्ष के साथ नहीं खड़े होने के कारण अपराधियों को राहत मिलती है। विद्वान वकील के अनुसार, यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वर्तमान मामले में एम. सी. ओ. सी. ए. को सही तरीके से लागू किया गया है। 7.3 . राज्य के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि अपीलार्थी के अपराध में शामिल नहीं होने के बारे में तर्क संदर्भित हैं।

एम. सी. ओ. सी. ए. के आह्वान के लिए सही नहीं हैं और अपीलार्थी की ओर से 'अन्य लाभ' अभिव्यक्ति की सुझाई गई व्याख्या भी अभिषेक v नहीं है।

महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

सही है। प्रतिवादी के विद्वान वकील-राज्य ने मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का उल्लेख किया है

महाराष्ट्र राज्य बनाम। जगन गगनसिंह नेपाली @जाग्या और अन्न। : (2011) एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम्बे 1049 ने यह प्रस्तुत करने के लिए कि इसमें, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि शारीरिक अपराध के अपराध सर्वोच्चता स्थापित करने के इरादे से किए गए अपराध हो सकते हैं और जो आर्थिक लाभ या लाभ के अलावा अन्य लाभ का कारण बन सकते हैं।

7.4 . विद्वान वकील ने महाराष्ट्र राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया है। कमाल अहमद

मोहम्मद वकील अंसारी और अन्य। : 2013 (12) एस. सी. सी. 17 ने कहा कि एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 23 (2) के तहत मंजूरी देते समय इकबालिया बयान पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि गिरोह के नेता और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति के इकबालिया बयान सीधे 'संगठित अपराध सिंडिकेट' के सक्रिय सदस्य के रूप में अपीलार्थी की भूमिका का खुलासा करते हैं। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, इकबालिया बयान इकबालिया बयान देने वाले और सह-अभियुक्त तक ही सीमित हैं और मंजूरी आदेश में उनके उपयोग को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि मंजूरी के अनुसार इकबालिया बयानों का उपयोग करने में मकोका में कोई निषेध नहीं है और किसी भी मामले में, मामले का प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण बनाते समय और मंजूरी के अनुसार के प्रश्न की जांच करते समय उन्हें मंजूरी देने वाले प्राधिकरण द्वारा सेवा में लगाया जा सकता है। विद्वान वकील ने यह भी कहा है कि इकबालिया बयान की विश्वसनीयता के सवाल पर मंजूरी देने के चरण में निर्णय नहीं लिया जा सकता है और सुनवाई के दौरान ही फैसला किया जा सकता है जब गवाहों से पूछताछ की जाती है।

7.5 . विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि जब मंजूरी देने वाले प्राधिकरण के समक्ष रखी गई सामग्री विश्वसनीय की उपस्थिति का खुलासा करती है किसी अपराध या संगठित अपराध के संबंध में जानकारी, जिस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है; और कविता लंकेश बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है। कर्नाटक राज्य और अन्य। : (2021) एससीसी ऑनलाइन 956।

7.6 . प्रस्तुतियों के एक अन्य अंग में, राज्य के विद्वान वकील का तर्क होगा कि मंजूरी की वैधता हमेशा हो सकती है

विचारण न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान निर्धारित किया जाता है जहां अभियुक्त से प्रतिपरीक्षा के अवसर के साथ मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की जांच की जा सकती है। विद्वान वकील ने विनोद जी असरानी बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। महाराष्ट्र राज्यः (2007) 3 एस. सी. सी. 633 और तर्क दिया है कि इस अवसर के लिए [2022] 4 एस. सी. आर. है।

मुकदमे के दौरान अपीलार्थी के लिए उपलब्ध, मंजूरी आदेश में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चिंता से विचार किया है और लागू कानून के संदर्भ में रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच की है। 9. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों से निपटने के दौरान, उद्देश्यों और कारणों के कथन के साथ-साथ इसकी प्रस्तावना पर भी ध्यान देना उचित है।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 और संदर्भ के तहत प्रासंगिक प्रावधान। 9.1 . इस अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार हैः -

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

संगठित अपराध काफी वर्षों से हमारे समाज के लिए एक बहुत ही गंभीर खतरे के रूप में सामने आया है। यह कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं जानता है और अनुबंध, हत्या से उत्पन्न अवैध धन से प्रेरित है।

जबरन वसूली, प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी, फिरौती के लिए मादक पदार्थों के अपहरण का अवैध व्यापार, सुरक्षा राशि का संग्रह और धन शोधन आदि। संगठित अपराध से उत्पन्न अवैध धन और काला धन बहुत बड़ा होने के कारण, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह देखा गया कि संगठित आपराधिक सिंडिकेट्स ने आतंकवादी गिरोहों और नार्को आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ एक सामान्य कारण बनाया जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे फैला हुआ है। यह मानने का कारण था कि संगठित आपराधिक गिरोहों ने

राज्य में काम कर रहा था और इस प्रकार, इसकी तत्काल आवश्यकता थी

उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाएँ।

यह भी देखा गया कि संगठित अपराधी अपनी आपराधिक गतिविधियों में तार और मौखिक संचार का व्यापक उपयोग कर रहे हैं। अपराधों के होने का साक्ष्य प्राप्त करने या उन्हें रोकने के लिए इस तरह के संचार का अवरोधन आयोग
कानून प्रवर्तन के लिए एक अनिवार्य सहायता होगी

और न्याय का प्रशासन।

2. मौजूदा कानूनी ढांचा i. ई. दंडात्मक और प्रक्रियात्मक कानूनों और न्यायनिर्णायक प्रणाली को इसके बजाय पाया गया

संगठित अपराध के खतरे पर अंकुश लगाने या नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त। इसलिए, सरकार ने कुछ परिस्थितियों में शक्ति अभिषेक बनाम सहित कड़े और निवारक प्रावधानों के साथ एक विशेष कानून बनाने का निर्णय लिया।

महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

संगठित अपराध का खतरा। इस अधिनियम का उद्देश्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

9.2 . एम. सी. ओ. सी. ए. की प्रस्तावना का प्रासंगिक भाग, जो आवश्यक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है, निम्नानुसार हैः -

" रोकथाम और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम

संगठित अपराध और आपराधिक गतिविधि से निपटने के लिए

संगठित अपराध सिंडिकेट या गिरोह, और संबंधित मामलों के लिए

इसके साथ या उससे आनुषंगिक। 9.3 . के लिए निर्धारित प्रासंगिक परिभाषाएँ और अर्थ

खंड (घ), (ङ) और (च) में क्रमशः "निरंतर गैरकानूनी गतिविधि", "संगठित अपराध" और "संगठित अपराध सिंडिकेट" का उल्लेख किया गया है।

2 (1) पर नीचे पढ़ा गया हैः -

" 2. परिभाषाएँ। (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है, -

***

***

(घ) "गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना" का अर्थ है कुछ समय के लिए कानून द्वारा निषिद्ध एक गतिविधि, जो तीन साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय एक संज्ञेय अपराध है, जिसे अकेले या संयुक्त रूप से, एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से किया जाता है, जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र एक सक्षम अदालत के समक्ष दायर किए गए हैं। दस वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि और उस न्यायालय ने लिया है

इस तरह के अपराध का संज्ञान; (ङ) "संगठित अपराध" से किसी व्यक्ति द्वारा, अकेले या संयुक्त रूप से, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से, हिंसा या हिंसा की धमकी या धमकी या जबरदस्ती या अन्य गैरकानूनी साधनों का उपयोग करके, आर्थिक लाभ प्राप्त करने या अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई निरंतर गैरकानूनी गतिविधि अभिप्रेत है।

या विद्रोह को बढ़ावा देना;

(च) "संगठित अपराध सिंडिकेट" से दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह अभिप्रेत है, जो या तो अकेले सामूहिक रूप से सिंडिकेट के रूप में कार्य करते हैं या

गिरोह संगठित अपराध की गतिविधियों में लिप्त है। "[2022] 4 एस. सी. आर.

9.4 . संगठित अपराध के लिए विभिन्न दंड

अपराध की आशंका और अपराधी की संलिप्तता की प्रकृति को एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 3 में दर्ज किया गया है, जो निम्नानुसार हैः -

" 3. संगठित अपराध के लिए सजा। - (1) जो भी करता है

संगठित अपराध का अपराध -

((i) यदि इस तरह के अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है,

मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, न्यूनतम एक रुपये के जुर्माने के अधीन

लाख; ((ii) किसी अन्य मामले में, ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो पाँच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो

आजीवन कारावास तक बढ़ाया जाएगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा,

न्यूनतम पाँच लाख रुपये के जुर्माने के अधीन।

(2) जो कोई साजिश रचता है या करने का प्रयास करता है या वकालत करता है, बढ़ावा देता है या जानबूझकर किसी संगठित अपराध या संगठित अपराध की तैयारी करने वाले किसी कार्य को करने में मदद करता है, वह दंडनीय होगा - पाँच वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास

लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, न्यूनतम पांच लाख रुपये के जुर्माने के अधीन।

(3) जो कोई आश्रय देता है या छिपाता है या आश्रय देने का प्रयास करता है या छिपाकर, एक संगठित अपराध सिंडिकेट का कोई भी सदस्य होगा

एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय जो कम नहीं होगा

पाँच वर्ष से अधिक लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, और न्यूनतम रुपये के जुर्माने के अधीन जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

पाँच लाख।

पाँच लाख रुपये। (5) जिसके पास से प्राप्त या प्राप्त कोई संपत्ति हो।

किसी संगठित अपराध का या जिसे अर्जित किया गया हो संगठित अपराध सिंडिकेट कोष के माध्यम से दंडनीय होगा।

एक कार्यकाल के साथ जो तीन साल से कम नहीं होगा लेकिन जो

आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा,

न्यूनतम दो लाख रुपये के जुर्माने के अधीन। अभिषेक बनाम।

9.5 . मकोका की धारा 23 के संदर्भ में जाँच और अभियोजन के लिए मंजूरी दी गई है, जो इस प्रकार हैः इसके अंतर्गतः

23. किसी अपराध का संज्ञान लेना और उसकी जाँच करना। - (1) संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, -

(क) इस अधिनियम के तहत संगठित अपराध के अपराध के बारे में कोई भी जानकारी, एक पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना दर्ज नहीं की जाएगी।

पुलिस उप महानिरीक्षक का पद;
(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी अपराध की जांच रैंक से नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी।

पुलिस उपाधीक्षक।

(2) कोई भी विशेष न्यायालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से कम के पुलिस अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

10. जैसा कि देखा गया है, राज्य के विद्वान वकील ने सबसे पहले जोर देकर तर्क दिया है कि अपीलार्थी को घोषित किया गया है

' धारा 82 सी. आर. पी. सी. और धारा 20 (3) एम. सी. ओ. सी. ए. के संदर्भ में भगोड़ा और इसलिए, उसका मामला किसी भी विचार के योग्य नहीं है। अपीलार्थी का जवाब

प्रत्यर्थी की इस याचिका पर यह कहा गया है कि उसका फरार होने या न्यायिक प्रक्रिया का सामना न करने का कोई इरादा नहीं था; और यह कि उसके मौलिक अधिकारों को बाधित करने वाले मकोका का अवैध और दुर्भावनापूर्ण आह्वान, कथित भगोड़ेपन द्वारा मान्य नहीं हो सकता था। यद्यपि हम इस संबंध में राज्य की ओर से प्रस्तुतियों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं; और यह गंभीर रूप से संदिग्ध बना हुआ है कि क्या अपीलकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अनुग्रह प्राप्त करने का हकदार है, लेकिन, उन परिस्थितियों की समग्रता में, जहां उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे, हमने पहले गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच करना उचित समझा है; और अंत में भगोड़ेपन के इस पहलू का विज्ञापन करना उचित समझा है।

11. एम. सी. ओ. सी. ए. के अधिनियमन के उद्देश्यों और कारणों पर एक व्यापक नज़र, इसकी प्रस्तावना में इंगित इसका समग्र उद्देश्य, और प्रासंगिक

धारा 2 में परिभाषाएँ और धारा 3 में दिए गए दंड भी इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि यह अधिनियम समाज के लिए गंभीर खतरे पैदा करने वाले संगठित अपराध के खतरे से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अधिनियम में कई असाधारण उपायों के साथ सख्त प्रावधान किए गए हैं, लेकिन संगठित अपराध से निपटने की कोशिश की गई शरारत की विशिष्ट प्रकृति ने स्पष्ट रूप से इस तरह के (2022) 4 एस. सी. आर. को जन्म दिया है।

असाधारण उपाय, विशेष रूप से जब मौजूदा कानूनी ढांचा खतरे को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त पाया गया। 12. अपीलार्थी की ओर से हमारे सामने तर्कों का एक लंबा सौदा किया गया है कि कठोर और गंभीर परिणामों को देखते हुए,

प्रावधानों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और अधिकारी इसका सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य हैं। सवाल यह है कि अदालतों द्वारा 'सख्त निर्माण' और मकोका जैसे अधिनियम के संदर्भ में अधिकारियों द्वारा 'सख्त पालन' के क्या अर्थ हैं? के लिए

इस प्रश्न का निर्धारण, उद्धृत निर्णयों और लागू कानूनी सिद्धांतों को संदर्भित करना उचित होगा।

12.1 . ललित सोमदत्त नागपाल (उपरोक्त) का मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और 7 के तहत किए गए कथित अपराधों के संबंध में मकोका के आवेदन से संबंधित प्रश्नों से जुड़ा था। आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1981 के अधिनियमन को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, जो केवल 15 वर्षों के लिए लागू होना था और उसमें,

अधिरोपित दंड 2 वर्ष तक सीमित था, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब दंड अधिरोपित करने की न्यायालय की शक्ति 2 वर्ष तक सीमित थी, तब भी अपराध अधिकतम 7 वर्ष की अवधि तक दंडनीय बना रहा, ताकि मकोका के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके। यह कहते हुए कि और

उच्च न्यायालय के विचारों को अस्वीकार करने के बाद, यह न्यायालय, निश्चित रूप से, उत्तरदाताओं की ओर से अन्य प्रस्तुतियों से सहमत था।

प्रावधानों की सख्त व्याख्या और अधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन करते हुए निम्नानुसार अवलोकन किया गया हैः -

" 62. हालांकि, हम इस बात से सहमत हैं कि मैकोका के कड़े प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, इसके प्रावधानों की बहुत सख्ती से व्याख्या करनी होगी और अधिकारियों को

संबंधित को उक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य होना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मैकोका के प्रावधानों को उन अपराधों के संबंध में संगठित आपराधिक गतिविधि से निपटने के लिए लागू किया गया है जो आतंक पैदा करने और देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डालने और अस्थिर करने की संभावना रखते हैं, जिसके लिए कड़े उपाय किए गए हैं। प्रावधान मैकोका जांच के शुरुआती चरण में एक नागरिक को उसकी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करने की कोशिश करता है, जिससे उसके लिए जमानत प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित साक्ष्य के प्रवेश से संबंधित अन्य प्रावधान भी प्रदान किए गए हैं। ऐसी स्थिति में यह देखा जाना चाहिए कि क्या जांच अभिषेक बनाम।

महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अपनी स्थापना के समय से ही इसका सख्ती से पालन किया जाता रहा है। अधिनियम के प्रावधानों के साथ "।

12.1. 1 . विशेष तथ्य स्थिति के संबंध में

स्वतंत्र अभियुक्त व्यक्तियों, इस न्यायालय ने पाया कि मंजूरी पूरी तरह से गैर-विवेक के साथ दी गई थी और इसलिए, अस्वीकार कर दिया गया था

मुझे निम्नलिखित शब्दों में: -

" 67. तत्काल मामले में, हालांकि मंजूरी दी गई थी विशेष पुलिस महानिरीक्षक, कोल्हापुर रेंज, 31-8 पर

2004 , मैकोका, 1999 की धारा 23 (1) (ए) के तहत अनुमति देना।

कथित अपराधों पर इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए कहा गया है

अनिल नागपाल, ललित नागपाल और विजय नागपाल द्वारा प्रतिबद्ध, जैसे

ऐसा प्रतीत होता है कि एक अधिनियम के विचार पर दिया गया था जो नहीं है। भले ही 22-8 का बाद का अनुमोदन आदेश

2005 ध्यान में रखा जाना है, संदर्भित संगठित अपराध

उक्त आदेश में बिक्री के कथित उल्लंघन के संबंध में है कर और उत्पाद शुल्क कानून, जो हमारे विचार में, मैकोका, 1999 के प्रावधानों को लागू करने का आधार नहीं थे। मैकोका के प्रावधानों को जबरदस्ती की प्रकृति में कुछ और लागू करने के लिए

कृत्यों और हिंसा को लिखने की आवश्यकता है ताकि

"संगठित" की परिभाषा के भीतर गैरकानूनी गतिविधि की शिकायत की गई

मकोका की धारा 2 (1) (ई) में अपराध।

68. हमारे विचार में, दोनों प्रतिबंध जो आधार बने

जाँच को यांत्रिक रूप से दिया गया है और दूषित किया गया है

और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। प्रावधानों का सहारा लेने में

मैकोका, 1999, जिसका स्वतंत्रता को कम करने का प्रभाव है

एक व्यक्ति और उसे वस्तुतः कैद में रखना, एक महान

यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाली गई है कि

दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यह तत्काल किया गया है। मामला "।

12.2 . रंजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा (ऊपर) के मामले में,

छ. पुणे के पुलिस आयुक्त के रूप में अपीलार्थी का कार्यकाल, रुपये के नकली कागजात। 2.91 लाख जब्त किए गए, जिसके बाद आई. पी. सी. की धारा 120-बी, 255,249,260,263 (ए) और (बी), 478,472 474 के साथ धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। इससे पहले एक

करीम लाडसा तेलगी को गिरफ्तार कर लिया गया और [2022] 4 एस. सी. आर. के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नकली डाक टिकट और जालसाजी छापने के कथित अपराध। एम. सी. ओ. सी. ए. के प्रावधानों को उक्त तेलगी के खिलाफ लागू किया गया था और उसमें, अपीलार्थी की भूमिका को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए कहा गया था।

विभिन्न स्थानों पर पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य करते हुए संगठित अपराध सिंडिकेट। इसमें, यह न्यायालय अनिवार्य रूप से मकोका की धारा 24 के संचालन से संबंधित था, जिसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने वाले लोक सेवकों को दंडित करने का प्रावधान था। अपने तथ्यों के संदर्भ में मामले के समग्र दृष्टिकोण को लेते हुए, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह राय बनाई कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में पूरी तरह से सही नहीं रहा होगा कि अपीलार्थी ने मकोका की धारा 3 (2) के साथ-साथ 24 के तहत अपराध किया है और इस प्रकार, अपीलार्थी को दी गई अंतरिम जमानत जारी रखी गई थी।

12.2. 1 . उक्त मामले में, इस न्यायालय ने अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों और "कोई भी" अभिव्यक्ति के अर्थों का उल्लेख किया।

निम्नलिखित शब्दों में गैरकानूनी का अर्थ है: -

" 24. उद्देश्यों और कारणों के विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त अधिनियम को क्यों अधिनियमित किया जाना था। इस प्रकार, यह मान लेना सुरक्षित होगा कि "कोई भी गैरकानूनी साधन" अभिव्यक्ति को ऐसे किसी भी कार्य को संदर्भित करना चाहिए जिसका किसी अपराध के करने के साथ सीधा संबंध है जिसे मकोका रोकना या नियंत्रित करना चाहता है। दूसरे शब्दों में, संगठित अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला अपराध और

संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा किया गया अपराध है।

उद्देश्यों और कारणों के कथन द्वारा विचार किया गया। दंड संहिता, 1860 और अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत तीन साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान करने वाले अपराध और अपराध हैं और ऐसे अपराधों के संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए जा सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पहले संकेत दिया है, केवल इसलिए कि एक व्यक्ति

धोखा देता है या विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करता है, एक से अधिक बार

यह अपने आप में मकोका के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। इसके अलावा, मेन्स रिया एक आवश्यक घटक है

मकोका के तहत अपराध करना।

12.3 . अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि एम. सी. ओ. सी. ए. के प्रावधानों की आवश्यकता है

इसका कड़ाई से अर्थ लगाने के लिए और उनके अनुप्रयोग के लिए, एक गैरकानूनी गतिविधि को संगठित अपराध की परिधि के भीतर आना होगा। हालाँकि, सवाल अभी भी बना हुआ है कि कड़े प्रावधानों के 'सख्त निर्माण' की आवश्यकता क्या है? उस संबंध में मौलिक कानूनी सिद्धांतों का एक संक्षिप्त संदर्भ उपयुक्त होगा।

अभिषेक बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

12.4 . न्याय द्वारा सांविधिक व्याख्या के सिद्धांतों में

सिंह ', एक दंडात्मक क़ानून पर लागू निर्माण का नियम है,

अन्य, निम्नलिखित शब्दों में कहा गया हैः -

" कहानी, जे. ने नियम से सहमत होते हुए उसके "सच्चे और शांत अर्थों" में निम्नानुसार कहाः " दंडात्मक कानूनों को निहितार्थ द्वारा विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए या उन मामलों तक विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से उनके शब्दों और उद्देश्य के भीतर नहीं हैं। लेकिन जहां शब्द सामान्य हैं, और व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों को शामिल करते हैं, मुझे कोई अधिकार नहीं पता है, जो अदालत को उन्हें एक वर्ग तक सीमित करने या उन्हें अधिकार देने में उचित ठहराए।

सबसे संकीर्ण व्याख्या, जहां कानून द्वारा दूर की जाने वाली शरारत उन सभी पर समान रूप से लागू होती है। और जहाँ एक कानून में एक शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसके विभिन्न ज्ञात अर्थ हैं, मैं किसी भी नियम के बारे में नहीं जानता, जिसके लिए अदालत को दूसरे की तुलना में एक को अपनाने की आवश्यकता होती है, केवल इसलिए कि यह अधिक संयमित है, यदि कानून के उद्देश्य शब्द के सबसे बड़े और व्यापक अर्थ पर समान रूप से लागू होते हैं।

12.5 . "स्ट्रिक्ट" अभिव्यक्ति का अर्थ और महत्व

एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन में भी विच्छेद की व्याख्या की गई है

मानथा अय्यर इस प्रकार हैं: -

" सख्त निर्माण "। कानून का सख्त निर्माण वह है जो

निहितार्थ या न्यायसंगत तरीके से कानून का विस्तार करने से इनकार करना

विचार, लेकिन इसके संचालन को उन मामलों तक सीमित करता है जो स्पष्ट रूप से क़ानून के पत्र के भीतर हैं, साथ ही साथ इसकी भावना या कारण के भीतर हैं, ताकि विधानमंडल के प्रकट उद्देश्य को विफल न किया जा सके, बल्कि विशेष मामले में प्रतिमा की प्रयोज्यता के खिलाफ सभी उचित संदेहों का समाधान किया जा सके। विलियम एम. लाइफ एट. अल। , ब्रीफ मेकिंग एंड द यूज़ ऑफ़ लॉ बुक्स, 343 (3 डी संस्करण। 1914)।

" सख्त व्याख्या एक अस्पष्ट अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसका अर्थ या तो शाब्दिक या संकीर्ण है। जब कोई प्रावधान अस्पष्ट होता है, तो इसका एक अर्थ दूसरे की तुलना में व्यापक हो सकता है, और सख्त (यानी संकीर्ण) अर्थ जरूरी नहीं कि सख्त (यानी शाब्दिक) अर्थ हो। जॉन सैल्मंड, ज्यूरिसप्रूडेंस 171 एन (टी) (ग्लैनविल एल. विलियम्स एड। , 10 टी. एड. , 1947) .

" सख्त निर्माण वह है जो निहितार्थ या न्यायसंगत विचारों द्वारा कानून का विस्तार करने से इनकार करता है, और अपने संचालन को उन मामलों तक सीमित करता है जो स्पष्ट रूप से क़ानून के पत्र के भीतर हैं, साथ ही साथ

संस्करण पी। 978 . लिशन पी। 4956 .

अपनी आत्मा या कारण के भीतर के रूप में। जब कानून की भावना प्रकट होती है, और कुछ भी बेतुकी नहीं होती है, तो इसे न अपनाने का कोई कारण नहीं हो सकता है। अपने किसी भी रूप में कराधान की शक्ति का प्रयोग करने वाले कानूनों, या राजनीतिक उप-विभाजनों को शक्ति सौंपने वाले कानूनों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए।

12.6 . जहाँ तक मकोका के तहत सख्त निर्माण के नियम के लागू होने का संबंध है, यह एक विशेष दंडात्मक क़ानून होने के नाते, इतना स्पष्ट है कि किसी को भी निहितार्थ या अनुमान द्वारा इस कानून के अधीन नहीं किया जाना है और इसके आवेदन से संबंधित सभी संदेहों का समाधान आम तौर पर अभियुक्त के पक्ष में किया जाएगा। हालांकि, सख्त का नियम निर्माण को अव्यवहारिक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है ताकि क़ानून स्वयं को निरर्थक बना सके। दूसरे शब्दों में, एक दंडात्मक क़ानून या एक विशेष दंडात्मक क़ानून के सख्त निर्माण के नियम का उद्देश्य सभी प्रावधानों को इतने सख्त लोहे में डालना नहीं है कि वे व्यावहारिक रूप से अव्यवहारिक हो जाएं, और इस तरह, कानून का पूरा उद्देश्य विफल हो जाए। इस मोड़ पर, हम बलराम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का लाभप्रद रूप से उल्लेख कर सकते हैं।

कुमावत बनाम। भारत संघ और अन्यः (2003) 7 एस. सी. सी. 628, कि कानून का उद्देश्य अपराधी को जाल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देना है

कानून। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार कहाः -

" 23. इसके अलावा, एक दंडात्मक क़ानून के संबंध में भी किसी भी संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण, शाब्दिक और शाब्दिक निर्माण को हमेशा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। कानून की व्याख्या अपराध के विषय और उस कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। कानून का उद्देश्य अपराधी को कानून के जाल से बाहर निकलने की अनुमति देना नहीं है। आपराधिक न्यायशास्त्र

ऐसा नहीं कहता। "

इसमें, इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में निर्णयों के संदर्भ के बाद, अंततः निम्नानुसार खुलासा कियाः

" 36. ये निर्णय इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण हैं कि एक नियामक/दंडात्मक क़ानून के सख्त निर्माण का नियम नहीं हो सकता है

इसका पालन किया जाता है, यदि इस प्रकार संसद के स्पष्ट इरादे का मुकाबला करने के लिए

विशेष प्रकृति के अपराधों को पराजित किया जाएगा।

इसकी धारा 2 (1) के खंड (डी), (ई) और (एफ) का संयुक्त पठन पूरा किया जाता है। यदि वे इतने पूर्ण नहीं हैं, तो केवल अभिव्यक्तियों का उपयोग करें मंजूरी आदेश में कानून का कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन दूसरी ओर, अभिषेक बनाम।

यदि आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो मंजूरी आदेश में किसी विशेष परिच्छेद में किसी भी अभिव्यक्ति या शब्द का अभाव मामले के सार को दूर नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, एम. सी. ओ. सी. ए. की आवश्यकताओं के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा सख्त पालन को भी क़ानून के अक्षर और भावना के संदर्भ में सामान्य ज्ञान और व्यावहारिक आवश्यकताओं से परे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

12.8 . कविता लंकेश (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने

कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2000 के समान प्रावधानों के आह्वान के लिए बुनियादी बातों को निम्नलिखित शब्दों में उजागर किया गयाः -

" 21. इस प्रावधान में जो महत्वपूर्ण है वह है अभिलिखित करने का तथ्य संगठित अपराध का अपराध और उसके विरुद्ध अपराध दर्ज करने का नहीं

इस तरह का अपराधी। इसके अलावा, इस पर सही सवाल उठाया जाना चाहिए।

चरण इस प्रकार हैः क्या सक्षम द्वारा पूर्व अनुमोदन दिया गया है धारा 24 (1) (ए) के तहत प्राधिकरण वैध है? उसमें, क्या वहाँ

के अपराध के बारे में स्पष्ट जानकारी थी

ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सदस्य के रूप में संगठित अपराध संगठित अपराध सिंडिकेट का? नतीजतन, क्या होना चाहिए था

उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पूछताछ की गई (वर्तमान मामले में,

पुलिस आयुक्त) हैः क्या आयोग का तथ्य एक संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा संगठित अपराध का अपराध

अनुदान के लिए उसके सामने रखी गई सामग्री से निकाला जा सकता है

पूर्व अनुमोदन? केवल यही सवाल है जिस पर भी पूछताछ की जानी चाहिए।

आगे बढ़ें-जिसमें विशिष्ट भूमिका के बारे में विवरण और इस तरह के अपराध में शामिल व्यक्तियों की पहचान उजागर की जा सकती है।

और सक्षम व्यक्ति के समक्ष दायर किए जाने वाले आरोप-पत्र में निर्दिष्ट किया गया है

अदालत।

***

***

***

27. धारा 24 (1) (ए) के तहत पूर्व अनुमोदन देने के चरण में

अतः 2000 के अधिनियम के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की आवश्यकता नहीं है।

जाँच एजेंसी द्वारा रखी गई सामग्री से गुजरना उसके समक्ष पूर्व अनुमोदन प्रदान करने के प्रस्ताव के साथ

प्रत्येक अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका का पता लगाएँ। योग्य व्यक्ति

सूचना/सामग्री किसी अपराध के होने का खुलासा करती है जो संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा किया गया एक संगठित अपराध।

इसमें, पूर्व अनुमोदन अपराध है न कि अपराधी। जब तक पहले के अपराधों में उल्लिखित घटनाएं व्यक्तियों के एक समूह द्वारा की जाती हैं और सभी घटनाओं में एक आम व्यक्ति शामिल होता है, तब तक 2000 के अधिनियम के तहत अपराध हो सकता है।

पुकारा जाए "।

13. प्रासंगिक सिद्धांतों पर ध्यान देने के बाद, हम वर्तमान मामले में उनके आवेदन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। 14. अपीलार्थी की ओर से तर्क दिए गए मामले का मुख्य मुद्दा यह रहा है कि दो में उसकी भागीदारी की सीमा आवश्यकता या

अधिक मामले, जिसमें आर्थिक या समान लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य शामिल है

मौजूदा नहीं है और इसलिए, भले ही संदर्भित मामलों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाता है, एमसीओसीए के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। जबकि तर्कों की इस पंक्ति की जांच करते हुए, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ एक पर आधारित हैं

गलत तरीके से तैयार किया गया प्रश्न, जो स्पष्ट रूप से गलत तरीके से तैयार किए गए विवादों का कारण बना है। अपीलार्थी की दलीलों के गलत आधार को लिखित प्रस्तुतियों के शुरुआती पैराग्राफ से देखा जा सकता है जो नीचे दिया गया हैः -

" 1. वर्तमान मामले में इस माननीय न्यायालय के विचार के लिए एकमात्र मुद्दा यह हैः " क्या अधिनियम की धारा 2 (घ) में निर्धारित न्यूनतम सीमा। आरोपों के साथ कम से कम दो आरोप पत्र वाले मामले

आर्थिक लाभ के लिए हिंसा को पूरा किया गया है

वर्तमान मामला? "

इसके अलावा, एम. सी. ओ. सी. ए. को लागू करने के लिए आवश्यक अवयवों के बारे में पैराग्राफ 3 में प्रस्तुत किया गया हैः -

" 3. अधिनियम की धारा 2 (ई) और 2 (एफ) के साथ पठित धारा 2 (डी) के आधार पर, मकोका के प्रावधानों को लागू करने के लिए दो आरोप पत्र

निम्नलिखित आरोपों के साथ दायर किए जाने की आवश्यकता हैः

ए। हिंसा; और

बी। आर्थिक लाभ या अन्य समान लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य।

न तो उपरोक्त प्रश्न सही है और न ही सुझाए गए प्रश्न।

अवयव कानून के साधारण प्रावधानों के अनुरूप हैं। 14.1 . मकोका की धारा 2 (1) के खंड (ई) पर एक नंगे नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'संगठित अपराध' का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी गैरकानूनी गतिविधि है।

अकेले या संयुक्त रूप से, या तो संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से, हिंसा या हिंसा की धमकी या धमकी या जबरदस्ती या अन्य गैरकानूनी साधनों का उपयोग करके। इन पर सुझाव

अपीलार्थी की ओर से गतिविधि को केवल हिंसा के उपयोग तक सीमित करना स्पष्ट रूप से गलत है जब वह एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 2 (1) के खंड (ई) द्वारा विचारित व्यापक गतिविधियों का उल्लेख करना छोड़ देता है, अर्थात, धमकी या हिंसा या धमकी या जबरदस्ती या अन्य गैरकानूनी साधन। संगठित अपराध की शरारत के दायरे में आने वाली किसी गतिविधि के लिए हिंसा का वास्तविक उपयोग हमेशा अनिवार्य नहीं होता है, जब किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से संगठित अपराध सिंडिकेट के हिस्से के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से किया जाता है। हिंसा की धमकी या धमकी या यहां तक कि जबरदस्ती भी शरारत के दायरे में आती है। इसके अलावा, अन्य गैरकानूनी साधनों का उपयोग भी उसी शरारत के दायरे में आएगा।

14.2 . गतिविधि की प्रकृति की आवश्यकता का दूसरा भाग, अर्थात, इसका उद्देश्य भी, की ओर से सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है

अपीलार्थी। कानून की आवश्यकता केवल आर्थिक लाभों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह 'अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने' का भी हो सकता है। इस प्रस्ताव की रूपरेखा कि उद्देश्य को आर्थिक लाभ या अन्य 'समान' लाभ प्राप्त करना चाहिए, सही नहीं है क्योंकि यह अधिनियम के विशिष्ट वाक्यांश से चूक जाता है जो आर्थिक लाभ के अलावा अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ को संदर्भित करता है।

14.3 . इस पहलू पर पूर्ण पीठ ने विचार किया है

बंबई उच्च न्यायालय ने जगन गगनसिंह नेपाली @जाग्या (ऊपर) के मामले में, जिसमें न्यायालय ने इसके सटीक अर्थों की जांच की अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) में आने वाली अभिव्यक्ति "अन्य लाभ"। तैयार किया गया प्रश्न इस प्रकार थाः -

" 2. इसलिए, जिस प्रश्न का हमें उत्तर देना है, वह यह है कि क्या "अन्य लाभ" शब्द को "आर्थिक लाभ प्राप्त करना, या अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करना" शब्दों के साथ सामान्य शब्द के रूप में पढ़ा जाना चाहिए या क्या उक्त शब्द "अन्य लाभ" को व्यापक अर्थ देने की आवश्यकता है।

14.3. 1 . बंबई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित रूप में तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर दियाः -

" 42. उपरोक्त कारणों से, हम इस मुद्दे का जवाब देते हैं कि "अन्य लाभ" शब्द को "आर्थिक लाभ" और "अनुचित आर्थिक" शब्दों के साथ सामान्य शब्द के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

14.3. 2 . उपर्युक्त उत्तर देते समय, उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ लागू और उजागर किए गए सिद्धांतों पर ध्यान दिया, जो इस प्रकार हैं: -

" 31. इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह देखा जा सकता है कि मौजूदा कानूनी ढांचा यानी दंडात्मक और प्रक्रियात्मक कानून और न्यायनिर्णायक प्रणाली संगठित अपराध के खतरे पर अंकुश लगाने या नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त पाई गई। यह पाया गया कि संगठित अपराध राष्ट्रीय सीमाओं से परे समाज के लिए एक गंभीर खतरा बन गया था और अनुबंध, हत्या, जबरन वसूली, प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, फिरौती के लिए अपहरण, सुरक्षा धन और धन के संग्रह द्वारा हासिल की गई अवैध संपत्ति से प्रेरित है।

धनशोधन आदि। यह पाया गया कि संगठित अपराध से उत्पन्न अवैध धन और काला धन बहुत बड़ा होने के कारण इसका अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह आगे देखा गया कि संगठित आपराधिक सिंडिकेट्स ने आतंकवादी गिरोहों और नार्को आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ एक सामान्य कारण बनाया जो राष्ट्रीय स्तर से परे फैला हुआ है।

सीमाएँ। यह भी पाया गया कि संगठित अपराधी तार और मौखिक संचार का व्यापक उपयोग कर रहे हैं। उनकी आपराधिक गतिविधियाँ। इस पृष्ठभूमि में, यह आवश्यक पाया गया

संगठित अपराध के खतरे को नियंत्रित करने के लिए कुछ परिस्थितियों में तार, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संचार को रोकने की शक्ति सहित कड़े और निवारक प्रावधानों के साथ एक विशेष कानून बनाना।

32. प्रस्तावना से पता चलता है कि यह भी पाया गया कि फिल्म उद्योग से संबंधित उद्योगपतियों की हत्याओं के साथ-साथ बिल्डरों द्वारा, व्यापारियों से धन की जबरन वसूली, अपहरण आदि जैसी आपराधिक गतिविधियों से पता चलता है कि राज्य में आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि यह आशा की गई थी कि इस कानून के पारित होने से समाज में आतंकवाद फैलाने वाले गैरकानूनी तत्वों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और यह समाज में फैले भय की भावना को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

33. यह ध्यान देने योग्य है कि उद्देश्यों और कारणों के कथन और प्रस्तावना दोनों में, हालांकि कुछ गतिविधियों को किया गया है जिनका उल्लेख किया गया है, उनके बाद "आदि" शब्द आता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उद्देश्यों और कारणों के कथन और प्रस्तावना में उल्लिखित गतिविधियाँ केवल उदाहरणात्मक प्रकृति की हैं और संपूर्ण नहीं हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विधायी उद्देश्य केवल वक्तव्य में उल्लिखित गतिविधियों पर अंकुश लगाना नहीं है।

उद्देश्य और कारण या प्रस्तावना लेकिन विभिन्न अन्य गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभिषेक V.

महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

संगठित अपराध सिंडिकेट का गठन ताकि समाज में आतंकवाद फैलाने वाले गैरकानूनी तत्वों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सके, इस इरादे से कि समाज में भय की भावना फैले। समाज न्यूनतम हो जाता है।

34. इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि मकोका को लागू करने के पीछे का उद्देश्य संगठित अपराध की गतिविधियों पर अंकुश लगाना था

सिंडिकेट या गिरोह। प्रस्तावना का अवलोकन और

उद्देश्यों और कारणों का विवरण और प्रस्तावना, हमारे विचार में, किसी भी संकीर्ण अर्थ की ओर नहीं ले जाती है कि एम. सी. ओ. सी. ए. को केवल उन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया है जिनमें आर्थिक लाभ या अनुचित आर्थिक लाभ शामिल हैं। एम. सी. ओ. सी. ए. के अधिनियमन द्वारा जिस शरारत को ठीक करने की कोशिश की जाती है, वह संगठित अपराध के खतरे पर अंकुश लगाना और उसे नियंत्रित करना है। यह कानून इस उम्मीद के साथ बनाया गया है कि समाज में संगठित अपराध से फैलने वाले तत्वों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और समाज में फैले भय को कम किया जा सकता है। यदि एक संकीर्ण अर्थ को स्वीकार किया जाता है, जैसा कि रखा जाना चाहिए, तो यह उस शरारत को ठीक करने के बजाय उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए अधिनियम लागू किया गया है।

35. इस मुद्दे की सराहना करने के लिए, मकोका की धारा 3 की उप-धारा (4) का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा। यह देखा जा सकता है कि उक्त प्रावधान में केवल इस आधार पर सजा का प्रावधान है कि कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है। यदि प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत तर्क को स्वीकार किया जाना है, तो धारा 3 की उप धारा (4) को निरर्थक बना दिया जाएगा। हमारा यह भी विचार है कि विभिन्न "गैरकानूनी" हो सकते हैं।

"संगठित अपराध सिंडिकेट" के सदस्य द्वारा या ऐसे सिंडिकेट की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा "निरंतर गतिविधियाँ" जो इसके लिए हो सकती हैं

आर्थिक या आर्थिक लाभों के अलावा अन्य लाभ।

14.4 . हमें जगन गगनसिंह के मामले में बंबई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं हैपाली @जग्या (ऊपर)। इस अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को देखते हुए, 'अन्य लाभ' अभिव्यक्ति को सख्त तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है और इसका पूरा प्रभाव दिए जाने की आवश्यकता है। द हाई

यू. आर. टी. ने ठीक ही कहा है कि किसी व्यक्ति को लाभ हो सकता है।

एक ऐसे अपराध को छोड़ देना जो सीधे तौर पर आर्थिक लाभ या लाभ की ओर नहीं ले जा रहा हो, लेकिन समाज या यहां तक कि सिंडिकेट में भी एक मजबूत पकड़ या वर्चस्व प्राप्त करने का हो सकता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, किसी भी [2022] 4 एस. सी. आर. की व्याख्या करते समय इस अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

उसमें और सख्त निर्माण के नाम पर अभिव्यक्ति, इसकी भावना और उद्देश्य को कम नहीं किया जा सकता है। 15. कुछ टिप्पणियों के साथ उपरोक्त सात मामलों के संबंध में अपीलार्थी की ओर से हमारे सामने एक चार्ट रखा गया है। संबंध में

प्रकरण सं. 1 में यह प्रस्तुत किया गया है कि उस मामले में कोई आर्थिक लाभ या अनुचित आर्थिक लाभ का आरोप नहीं लगाया गया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि घर की तलाशी के दौरान पुलिस को केवल पटेल के घर से एक तलवार मिली थी और अपीलार्थी वहां किरायेदार के रूप में रह रहा था। जहां तक सीरियल नंबर 2 के मामले का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप एक लड़की के साथ दोस्ती के कारण पिछली दुश्मनी और झगड़े के कारण शिकायतकर्ता को चाकू से मारने का था। पुनः, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कथित अपराध सिंडिकेट का कोई भी सदस्य अभियुक्त व्यक्ति नहीं है और कोई आर्थिक लाभ या अन्य लाभ का आरोप नहीं है। उक्त मामले के परिणामस्वरूप एक गवाह के पलटने के साथ बरी कर दिया गया

शत्रुतापूर्ण और अन्य गवाह उपस्थित नहीं हुए। जहां तक सीरियल नंबर 3 के मामले का संबंध है, यह तर्क दिया जाता है कि यह आरोपी रोशन शेख के साथ पहला संयुक्त अपराध था और वास्तव में, यह क्रॉस एफ. आई. आर. एस. का मामला था। और इन्हें उच्च न्यायालय द्वारा 13.04.2016 पर रद्द कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह लोगों के दो समूहों के बीच टकराव का मामला था और नहीं

आर्थिक लाभ या अनुचित आर्थिक लाभ या अन्य लाभ के तत्वों का आरोप लगाया गया था। जहां तक क्रम संख्या 4 के मामले का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि

घटना वेटर और ग्राहक के बीच किसी बहस के कारण एक बार में हुई थी और आर्थिक लाभ या अनुचित आर्थिक लाभ या अन्य लाभ का ऐसा कोई तत्व नहीं दिखाया गया है। जहां तक क्रम संख्या 5 के मामले का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह जवाबी प्राथमिकियों का भी मामला रहा है जहां समीर शर्मा और अपीलार्थी द्वारा पहली प्राथमिकी दर्ज की गई थी

इसमें एक चश्मदीद गवाह है और इस अपराध में अभियुक्त को कोई आर्थिक लाभ या अनुचित आर्थिक लाभ या अन्य लाभ नहीं दिखाया गया है। जहां तक क्रम संख्या 6 के मामले का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आरोप पत्र किसी भी सिंडिकेट द्वारा किए गए किसी भी कार्य या आर्थिक लाभ के लिए किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करता है। कि जाँच के दौरान, शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत अपराध

हटा दिया गया था; और इस मामले को भी ध्यान में रखना सही नहीं था।

15.1 . इन सभी मामलों में "हिंसा" या "हिंसा की धमकी" या "गैरकानूनी साधनों" का साझा धागा कोई मुद्दा नहीं है। किसी भी विश्लेषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उपरोक्त मामले अकेले अपीलार्थी से जुड़े मामले नहीं थे और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कथित दल का नेता रोशन शेख कम से कम पिछले तीन मामलों में सह-आरोपी है। यह अभिषेक v से अलग है।

एक या दूसरे मामले में अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों की पुनरावृत्ति। प्रत्यर्थी की ओर से यह ठीक ही कहा गया है-यह बताएँ कि एम. सी. ओ. सी. ए. को आकर्षित करने के लिए, प्रत्येक पिछले मामले का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। विचाराधीन मामलों में, मानव शरीर और संपत्ति के खिलाफ अपराधों को शामिल करने के अलावा, कई अन्य अपराध भी शामिल हैं जिनमें घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना; शांति भंग करने के लिए अपमान करना; और आपराधिक धमकी शामिल हैं। इनमें शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध भी शामिल है। सभी संदर्भित मामलों में, हिंसा के उपयोग का विशेष रूप से आरोप लगाया गया है।

15.2 . उपरोक्त अपराध चार्ट, गतिविधियों की प्रकृति और इसमें शामिल व्यक्ति इस बात पर संदेह करने के लिए कुछ नहीं छोड़ते हैं कि

ऐसे अपराधों और गैरकानूनी गतिविधियों में अपीलार्थी जिनका उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना या सर्वोच्चता प्राप्त करना है और जिससे अन्य अनुचित लाभ प्राप्त होते हैं, स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। 16. दिनांक 05.11.2020 के विवादित मंजूरी आदेश की आलोचना, कि यह केवल क़ानून की अभिव्यक्ति की पुनरावृत्ति थी, भी है।

स्वीकार करना मुश्किल है। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में ठीक ही कहा है कि उक्त आदेश को इसकी समग्रता में देखने की आवश्यकता है, और इसके सार को किसी विशेष पंक्ति या अभिव्यक्ति के अलग-अलग संदर्भ द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमने दिनांक 1 के आदेश की प्रासंगिक सामग्री को पुनः प्रस्तुत किया है, विशेष रूप से वर्तमान अपीलार्थी से संबंधित; और हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सबसे पहले, अनुमोदन करने वाला प्राधिकारी, और फिर, मंजूरी देने वाला प्राधिकारी, कानून की आवश्यकता के बारे में सचेत थे और वास्तव में केवल ऐसी आवश्यकता के संदर्भ में मामले की जांच की थी; और अपेक्षित संतुष्टि पर पहुंचने के बाद ही प्रश्नगत आदेश जारी किए। प्रत्यर्थी की ओर से यह उचित रूप से बताया गया है कि ऐसे मामलों में, सक्षम प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि क्या विचाराधीन सामग्री संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा किए गए अपराध, जो एक संगठित अपराध है, का खुलासा करती है। 16.1 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जगन्नाथ मिश्रा (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ, जो अनिवार्य रूप से एक मामले से संबंधित था

निवारक निरोध, शायद ही हस्तक्षेप के लिए कोई मामला बनाता है। संतुष्टि पर पहुँचने के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामलों में विचार किया गया हैः -

" अब हमने बताया है कि इस मामले में निरोध का आदेश आठ संभावित आधारों में से छह को संदर्भित करता है जिन पर किसी व्यक्ति को धारा 3 (2) (15) के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। इन आठ मैदानों [2022] में से 4 एस. सी. आर.

धारा 3 (2) (15) के तहत एक विदेशियों को संदर्भित करता है अर्थात शत्रुतापूर्ण मूल। इसलिए वर्तमान मामले में आदेश में वास्तव में सात संभावित आधारों में से छह का उल्लेख किया गया है जो उस भारतीय पर लागू हो सकते हैं जिसे धारा 3 (2) (15) के तहत हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। हम यह नहीं कहते हैं कि धारा 3 (2) (15) के तहत सात संभावित आधारों में से छह पर किसी नागरिक को हिरासत में लेना संभव नहीं है, लेकिन यदि ऐसा किया जाता है तो यह आवश्यक है कि किसी नागरिक को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को संतुष्ट किया जाए।

प्रत्येक आधार के बारे में कि हिरासत आवश्यक है

उस पर। लेकिन अगर ऐसा प्रतीत होता है कि हिरासत के आदेश में बड़ी संख्या में आधारों का उल्लेख किया गया है, तो संबंधित प्राधिकारी ने आदेश पारित करने से पहले उन सभी आधारों पर अपना दिमाग नहीं लगाया, ऐसी स्थिति में हमारी राय में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि आदेश हिरासत की वास्तविक आवश्यकता के लिए संबंधित प्राधिकारी के दिमाग को लागू किए बिना पारित किया गया था। वर्तमान मामले में जैसा कि हम पहले ही संभावित सात आधारों में से छह आधारों का उल्लेख कर चुके हैं, जिन पर एक नागरिक को हिरासत में लिया जा सकता है, आदेश में उल्लेख किया गया है; लेकिन मंत्री के हलफनामे में हम उन आधारों में से केवल दो का उल्लेख पाते हैं, अर्थात्, भारत की सुरक्षा (जिसे सार्वजनिक सुरक्षा के समान माना जा सकता है) और सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव। इन परिस्थितियों में इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि संबंधित प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में विचाराधीन आदेश पारित होने से पहले अपने दिमाग को ठीक से लागू नहीं किया था। इस तरह की विसंगति

आदेश में उल्लिखित आधारों और संबंधित प्राधिकारी के शपथ पत्र में बताए गए आधारों के बीच केवल उनके खिलाफ निरोध का आदेश पारित करने में लापरवाही दिखाई दे सकती है।

अधिनियम की धारा 44 के प्रावधान। यह लापरवाही यह भी दर्शाती है कि संबंधित प्राधिकारी का दिमाग वास्तव में वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने के सवाल पर लागू नहीं हुआ था। मामले के इस दृष्टिकोण में हमारी राय है कि याचिकाकर्ता रिहाई का हकदार है क्योंकि जिस आदेश द्वारा उसे हिरासत में लिया गया था, वह नियमों के तहत कोई आदेश नहीं है क्योंकि यह संबंधित प्राधिकारी के दिमाग के आवेदन के बिना पारित किया गया था।

आदेश का एक और पहलू है जो उसी निष्कर्ष की ओर ले जाता है और स्पष्ट रूप से इसे बनाने में लापरवाही को दर्शाता है।

आदेश दिया। जहां कई आधार एक निरोध आदेश का आधार हैं, हम उम्मीद करेंगे कि विभिन्न आधारों को संयुग्म "और" से जोड़ा जाएगा और ऐसे मामले में संयुग्म का उपयोग या "कोई अर्थ नहीं है। तथापि, वर्तमान क्रम में हम पाते हैं कि विभेदक "या" का उपयोग किया गया है, जो दर्शाता है कि क्रम अधिक अभिस्क v है।

या धारा 3 (2) (15) की एक प्रति से कम उन आधारों पर संबंधित प्राधिकारी के दिमाग के किसी भी आवेदन के बिना जो लागू होते हैं

वर्तमान मामला "।

16.2 . उक्त मामले में, जहां निरोध के आधारों के संबंध में निरोध आदेश और मंत्री के शपथ पत्र में विसंगति थी,

इस न्यायालय ने पाया कि संबंधित प्राधिकारी ने अपना दिमाग नहीं लगाया ठीक से। वर्तमान मामले में, इसके विपरीत, 05.11.2020 दिनांकित सावधानीपूर्वक तैयार किए गए मंजूरी आदेश में संदेह करने की कोई बात नहीं है कि

मंजूरी देने वाले प्राधिकरण ने वास्तव में सभी सामग्री पर अपना दिमाग लगाया था और

प्रासंगिक पहलू। इसलिए, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क विफल होना चाहिए।

17. हमारे समक्ष अपीलार्थी की ओर से दलीलों का एक लंबा सौदा मंजूरी देने वाले प्राधिकरण के बारे में भी था जो कथित रूप से अप्रासंगिक था।

2012 के अपराध सं. 13 के संबंध में दोषमुक्त करने और 2012 के अपराध सं. 482 में कार्यवाही को रद्द करने के कारकों को ध्यान में रखते हुए और उस मामले के लिए 2015 संदर्भित किया गया है। हमारे विचार में, तर्कों की यह रेखा भी सारहीन बनी हुई है।

17.1 . मकोका के खंड (डी) के संदर्भ में सीमा आवश्यकता अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई गतिविधि/गतिविधियों की है। अकेले या संयुक्त रूप से, एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में, जिसमें 3 साल के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध शामिल है।

17.2 . 2012 का अपराध संख्या 13 आई. डी. 1 पर दर्ज किया गया था और इसमें अपीलार्थी सहित दो आरोपी व्यक्ति शामिल थे और आई. पी. सी. की धारा 307 और आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत अपराध से संबंधित थे। इस प्रकार, निर्धारित अवधि और निर्धारित अपराध के संदर्भ में अपराध की प्रकृति सजा दी गई। उक्त मामले में संज्ञान भी लिया गया था

और इस तरह यह मुकदमे में चला गया। उसमें अभियोजन पक्ष जाँच कर सकता था कथित चश्मदीद गवाह के रूप में केवल एक व्यक्ति, लेकिन वह मुकर गया और उसने ऐसा किया

अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते हैं। अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता और घायल सहित अन्य गवाहों से पूछताछ करने में विफल रहा और यहां तक कि उनके संबंध में जारी गैर-जमानती वारंट को भी इस रिपोर्ट के साथ वापस कर दिया गया कि उनका पता नहीं चल सका है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। हम बरी होने की उक्त प्रकृति पर थोड़ी देर बाद टिप्पणी करेंगे, लेकिन वर्तमान उद्देश्य [2022] 4 एस. सी. आर. के लिए इसका पालन करना प्रासंगिक है।

कि उक्त मामला एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 2 (1) के खंड (डी) की सभी आवश्यकताओं का जवाब देता है।

17.3 . जहाँ तक दूसरे मामले का संबंध है, 2015 का अपराध सं. 482 दिनांक 1 होने के कारण, अपराध आई. पी. सी. की धारा 143,147,148,149,294,324,325 के थे। 2012 के पूर्व में निर्दिष्ट अपराध संख्या 13 का सह-अभियुक्त व्यक्ति इस मामले में भी सह-अभियुक्त व्यक्ति था। रोशन शेख सहित अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को टीम का नेता कहा जाता है। उक्त मामला मकोका की धारा 2 (1) के खंड (डी) की सभी आवश्यकताओं का भी जवाब देता है। उक्त मामले में, 2015 की अपराध संख्या 481 में एक क्रॉस एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि

जिसके लिए उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा कार्यवाही को रद्द करना उचित समझा। हम इस तरह की कार्यवाही को रद्द करने के निहितार्थ का उल्लेख कुछ समय बाद करेंगे। वर्तमान उद्देश्य के लिए यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि उक्त मामला भी मकोका की धारा 2 (1) के खंड (डी) की सभी आवश्यकताओं का जवाब देता है।

17.5 . उक्त दो मामलों के संदर्भ में अप्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखने के बारे में प्रस्तुतियाँ जिसके परिणामस्वरूप बरी और निर्वहन हुआ इस साधारण कारण से विफल होना चाहिए कि एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 2 (1) के खंड (डी) के उद्देश्य के लिए, किसी विशेष मामले का परिणाम इस सवाल का निर्णायक नहीं है कि क्या प्रश्न में गतिविधि का उत्तर देता है

"निरंतर गैरकानूनी गतिविधि" का विवरण या नहीं। ये अपीलार्थी द्वारा अकेले किए गए अपराध नहीं थे और वास्तव में इसमें आरोप पत्र दायर किए गए थे। जहां तक मकोका की धारा 2 (1) के खंड (घ) का संबंध है, परस्पर मामलों के कारण निपटारे का मामला या गवाहों के उपस्थित नहीं होने के कारण बरी होने का मामला शायद ही किसी प्रासंगिकता का हो। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा किसी भी अप्रासंगिक मामले पर विचार किया गया है। खजा बिलाल अहमद (उपरोक्त) के मामले में, जैसा कि अपीलार्थी की ओर से भरोसा किया गया था, अन्यथा भी, अभिषेक बनाम से संबंधित होने के लिए कोई प्रत्यक्ष आवेदन नहीं है।

निवारक निरोध का मामला। किसी भी मामले में, इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि एक निरोध प्राधिकारी के लिए, यह अनिवार्य है कि उसकी संतुष्टि अप्रासंगिक या अमान्य आधारों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि वर्तमान मामले में, प्राधिकरण को किसी भी अप्रासंगिक विचार पर आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा जा सकता है। धारा 2 (1) (डी) के उद्देश्य के लिए जो महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है वह संदर्भित गतिविधि और आरोप पत्र दाखिल करने में संबंधित व्यक्ति की भागीदारी है और पूर्वनिर्धारित अपराध में संज्ञान लेना। बरी किए जाने या रिहा किए जाने का कोई महत्व नहीं है।

18. जहां तक मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा इकबालिया बयान के उपयोग का संबंध है, हम उसमें कोई गलती नहीं पा सकते हैं। सबसे पहले,

यह ध्यान देने योग्य है कि सह-अभियुक्त व्यक्तियों के इकबालिया बयान,

कथित टीम लीडर सहित, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा मंजूरी आदेश के एकमात्र आधार के रूप में उपयोग नहीं किया गया है। उन्हें वर्तमान अपराध में एकत्र किए गए साक्ष्य के हिस्से के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें विभिन्न अन्य साक्ष्य, जैसे मोबाइल फोन, वाहन, पेन ड्राइव, हथियार आदि शामिल हैं। किसी भी मामले में, इकबालिया बयान से जुड़ा मूल्य

बयान, सी. आर. पी. सी. और साक्ष्य के प्रावधानों को ओवरराइड करते हुए एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 18 के संदर्भ में अधिनियम को लाभप्रद नहीं कहा जा सकता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने, कमाल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी (उपरोक्त) के मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः -

" 71. मैकोका की धारा 18 एक गैर-बाध्यकारी खंड के माध्यम से साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 में निहित जनादेश को एक स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य के रूप में प्रस्तुत करके ओवरराइड करती है, भले ही यह किसी व्यक्ति के लिए किया गया हो। पुलिस अधिकारी (उपायुक्त के पद से नीचे नहीं)

पुलिस)। इसलिए, भले ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 एक पुलिस अधिकारी को दिए गए अस्वीकार्य इकबालिया बयानों को या पुलिस हिरासत में रहते हुए, मैकोका की धारा 18 उक्त प्रावधानों को ओवरराइड करती है और इस तरह के इकबालिया बयान को स्वीकार करने की अनुमति देती है।

बयान, जो धारा 18 के दायरे में आते हैं

मैकोका से।

72. तथापि, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि धारा 18

मैकोका के इस तरह के इकबालिया बयान केवल स्वीकार्य हैं "ऐसे व्यक्ति, या सह-अभियुक्त, उकसाने वाले या साजिशकर्ता के मुकदमे" के लिए। चूँकि मैकोका की धारा 18 निर्धारित नियम का अपवाद है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 में, इसकी कड़ाई से व्याख्या करनी होगी, और इसके तहत विचार किए गए सीमित उद्देश्य के लिए। इकबालिया बयान की स्वीकार्यता [2022] 4 एस. सी. आर. होगी।

स्वीकार्यता के प्रयोजनों के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 को स्पष्ट रूप से अग्रगामी के रूप में लिया जाना चाहिए, लेकिन अनिवार्य रूप से अभियुक्त इकबालिया बयान देने वाले और सह-अभियुक्त (उकसाने वाला या उकसाने वाला) तक ही सीमित होना चाहिए।

षड्यंत्रकारी) "।

अपीलार्थी के उनके साथ सह-अभियुक्त व्यक्ति होने के कारण यह अप्रासंगिक है। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण टुकड़ों पर विस्तृत चर्चा मामले में एकत्र किए गए साक्ष्य की संख्या इस निष्कर्ष को मजबूत करती है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकरण ने सभी प्रासंगिक कारकों पर सावधानीपूर्वक अपना दिमाग लगाया है और मंजूरी देने के पक्ष में अंतिम राय बनाने से पहले मामले का समग्र दृष्टिकोण लिया है। इस संबंध में विवाद भी विफल हो जाता है।

18.2 . राज्य के विद्वान वकील ने निष्पक्ष और सही कहा है

विनोद जी. असरानी (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में संकेत दिया गया है कि मंजूरी की वैधता हमेशा मुकदमे के दौरान निचली अदालत द्वारा निर्धारित की जा सकती है जहां मंजूरी देने वाले प्राधिकरण की जांच की जा सकती है और अपीलार्थी के पास पर्याप्त अधिकार होंगे। उसी को लड़ने का अवसर, जिसमें मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की प्रतिपरीक्षा भी शामिल है। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने भी अपने मामले में ध्यान रखा है

यह स्पष्ट करने के लिए आक्षेपित आदेश कि टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया थीं और आदेश में कुछ भी मुकदमे को प्रभावित या पूर्वाग्रह नहीं करेगा या अपीलार्थी के किसी भी वैध बचाव को पूर्व-खाली नहीं करेगा। विनोद जी असरानी में

(ऊपर), इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः -

" 9. ..... एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 23 के तहत योजना समान है और धारा 23 (1) (ए) एक सुरक्षा प्रदान करती है कि एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत अपराध की कोई भी जांच इसके बिना शुरू नहीं की जानी चाहिए।

संबंधित अधिकारियों की मंजूरी। इस तरह की मंजूरी मिलने के बाद जांच शुरू की जाती है। जो बाद में आयोग में शामिल पाए जाते हैं

एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 23 (2) के तहत उनके खिलाफ मंजूरी प्राप्त होने के बाद संगठित अपराध के खिलाफ बहुत अच्छी तरह से कार्रवाई की जा सकती है।

10. यह पूछे जाने पर कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ मकोका के तहत अभियोजन के लिए कोई अपराध किया गया है, उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि आरोपी को पर्याप्त अवसर मिलेगा। विशेष न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने के लिए "। अभिषेक बनाम।

18.3 . ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए यह अपील गुण-दोष के आधार पर विफल होनी चाहिए। 19. ऐसा कहने के बाद, हम मामले के उन दो पहलुओं पर वापस जाना उचित समझते हैं जिन्हें हमने बाद में चर्चा के लिए आंशिक रूप से छोड़ दिया था।

टैगः एक संबंधित आपराधिक मामलों में बरी होने और आरोपमुक्त होने का; और दूसरा इस तथ्य का प्रभाव है कि अपीलार्थी को 'भगोड़ा' घोषित किया गया है।

20. जैसा कि देखा गया है, 2012 के अपराध सं. 13 से संबंधित मामले में, अपीलार्थी और सह-अभियुक्त व्यक्ति को निचली अदालत ने बरी कर दिया था।

मामले में जाँच किए गए केवल निजी गवाहों के प्रतिकूल होने और शिकायतकर्ता और घायल व्यक्ति सहित अन्य सभी गवाहों के लिए

बिलकुल उठ जाते हैं। विचाराधीन अधिनियम, अर्थात, मकोका, अनिवार्य रूप से एक संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा आपराधिक गतिविधियों से निपटने का इरादा रखता है। या गिरोह; और गवाहों की सुरक्षा भी इस अधिनियम के घोषित उद्देश्यों में से एक है। इसकी ओर से उचित रूप से तर्क दिया गया है

उत्तरदाताओं ने कहा कि मकोका इस तरह के खतरे पर अंकुश लगाना चाहता है, जहां एक आपराधिक मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष पर नहीं ले जाया जा सकता है क्योंकि गवाह या तो शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं या बिल्कुल भी पेश नहीं होते हैं। गवाह संरक्षण का प्रावधान, जैसा कि मकोका की धारा 19 में निहित है, उन कदमों में से एक है। जैसा कि अपीलार्थी की ओर से अभिलेख पर रखा गया है, सत्र न्यायालय के दिनांक 1 के निर्णय की जांच करने के बाद, हम केवल यह कह सकते हैं कि उक्त मामले में बरी होने का कारण ही, जब धारा 2 (1) (डी), (ई) और (एफ) की अन्य अपेक्षाएं पूरी की जाती हैं, तो निश्चित रूप से अपीलार्थी के खिलाफ एम. सी. ओ. सी. ए. के आह्वान की आवश्यकताएं। वे वास्तव में पूर्ण हैं, जैसा कि ऊपर देखा गया है।

21. जहाँ तक अपीलार्थी के खिलाफ घोषणा जारी किए जाने के निहितार्थ का संबंध है, हमें यह स्पष्ट करने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, जिसे 'भगोड़ा' घोषित किया गया है और वह जांच एजेंसी की पहुंच से बाहर रहता है और इस तरह सीधे कानून के साथ टकराव में रहता है। आम तौर पर, कोई रियायत या भोग का हकदार नहीं है। संदर्भ के रूप में, हम देख सकते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के संदर्भ में गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के संबंध में, इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि जब कोई आरोपी फरार है और उसे घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 का लाभ देने का कोई सवाल ही नहीं है। सी. आर. पी. सी. की धारा 438 के संबंध में जो देखा और कहा गया है, वह इसके साथ लागू होता है।

' उदाहरण के लिए, प्रेम शंकर प्रसाद बनाम। बिहार और अन्न राज्य। : (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 955।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र के लिए अधिक शक्ति। कठोर प्रावधानों के लागू होने के कारण अपने मामले पर विचार करने के लिए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ उसके मौलिक अधिकारों को बाधित करने से अपीलार्थी के निंदनीय आचरण का प्रभाव कम नहीं होता है। मौलिक अधिकारों के प्रति कोई भी दावा स्वयं संबंधित व्यक्ति द्वारा कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना और उसके अधीन हुए बिना भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

22. इस प्रकार, 16.12.2021 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और 05.11.2020 दिनांकित मंजूरी आदेश को चुनौती देने के लिए खारिज करने की आवश्यकता थी, जब अपीलार्थी को वास्तव में भगोड़ा घोषित किया गया था। हालाँकि, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, हमने पहले गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच करना उचित समझा है क्योंकि उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे और यह गुण-दोष के आधार पर मामले से निपटने के लिए न्याय का कारण बनता प्रतीत हुआ था। जैसा कि देखा गया है, अपीलार्थी की ओर से आग्रह की गई सभी दलीलें निराधार हैं और यहाँ चुनौती विफल होनी चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान मामले में पलायन के प्रभाव के संबंध में हमें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।
23. तदनुसार, और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील विफल हो जाती है और इसलिए खारिज कर दी जाती है।

अंकित ज्ञान

या

चिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)